

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 जुलाई 2019—श्रावण 4, शक 1941

## विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

राज्य शासन के आदेश  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 24 जून 2019

क्र. ई-1-282-2019-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे, अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

### तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	डॉ. फटिंग राहुल हरिदास (2012), अपर कलेक्टर, जबलपुर.	अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल.	उप सचिव मध्यप्रदेश शासन

6189

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	श्री प्रियंक मिश्रा (2013), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सिंगरौली.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जबलपुर.	—
3.	श्री अमनवीर सिंह बैस (2013), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायसेन.	आयुक्त, नगर पालिक निगम, सतना तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्मार्ट सिटी, सतना.	उप सचिव मध्यप्रदेश शासन
4.	श्रीमती रजनी सिंह (2013), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जबलपुर.	मुख्या कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बालाघाट.	—
5.	श्री फ्रेंक नोबल ए. (2013), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कटनी.	प्रबंध संचालक, स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (स्वॉन) एवं उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग.	उप सचिव मध्यप्रदेश शासन
6.	श्री सोमेश मिश्रा (2013), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रतलाम.	उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग.	—
7.	श्री एस कृष्ण चैतन्य (2013), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, शहडोल.	अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम, इंदौर.	उप सचिव मध्यप्रदेश शासन
8.	श्री हर्ष दीक्षित (2013), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छतरपुर.	अपर कलेक्टर, जबलपुर	उप सचिव मध्यप्रदेश शासन
9.	श्री संदीप जी आर (2013) आयुक्त, नगर पालिक निगम, सतना.	अपर कलेक्टर, सागर	उप सचिव मध्यप्रदेश शासन
10.	श्रीमती उमा माहेश्वरी आर. (2013) अपर कलेक्टर, कटनी.	उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन.	—
11.	श्री अवि प्रसाद (2014), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सीधी.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायसेन.	—
12.	श्री साकेत मालवीय (2014), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सतना.	अपर कलेक्टर, बैतूल.	उप सचिव मध्यप्रदेश शासन
13.	श्री आदित्य सिंह (2014), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मंदसौर.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, होशंगाबाद.	—

(1)	(2)	(3)	(4)
14.	सुश्री भव्या मित्तल (2014), अपर कलेक्टर, इन्दौर.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, नीमच.	—
15.	श्री क्षितिज सिंघल (2014), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, शाजापुर.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मंदसौर.	—
16.	सुश्री अदिति गर्ग (2015), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), महिदपुर, जिला उज्जैन.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्मार्ट सिटी, इंदौर.	उप सचिव मध्यप्रदेश शासन
17.	श्री पार्थ जैसवाल (2015), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हरसूद, जिला खण्डवा.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, शहडोल.	—
18.	श्री रौशन कुमार सिंह (2015), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), वारासिवनी, जिला बालाघाट.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, खण्डवा.	—
19.	श्री मृणाल मीना (2015), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सबलगढ़, जिला मुरैना.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजगढ़.	—
20.	श्री हर्ष सिंह (2015), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), केवलारी, जिला सिवनी.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, श्योपुर.	—
21.	श्री हर्षल पंचोली (2015), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेटलावद, जिला झाबुआ.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, टीकमगढ़.	—
22.	श्री हिमांशु चन्द्र (2015), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छतरपुर.	—
23.	श्री रितुराज (2015), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), देवसर, जिला सिंगरौली.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सिंगरौली.	—
24.	श्री अर्पित वर्मा (2015), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सीतामऊ, जिला मंदसौर.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रीवा.	—
25.	श्री बालागुरु के. (2015), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पुष्परजगढ़, जिला अनूपपुर.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, पन्ना.	—

भोपाल, दिनांक 25 जून 2019

क्र. ई-1-288-2019-5-एक.—श्री एम. सेलवेन्द्रन भाप्रसे (2002), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर (अतिरिक्त प्रभार) तथा प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से सचिव, मुख्य मंत्री, मध्यप्रदेश पदस्थ करते हुए, उन्हें सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

क्र. ई-5-1015-आयएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री संस्कृति जैन, भाप्रसे., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 25 जुलाई 2019 से 21 जनवरी 2020 तक, एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री संस्कृति जैन, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में सुश्री संस्कृति जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री संस्कृति जैन अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 26 जून 2019

क्र. ई-5-766-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री शोभित जैन, आयएस., सचिव, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल को दिनांक 24 जून से 5 जुलाई 2019 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री शोभित जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री शोभित जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शोभित जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 27 जून 2019

क्र. ई-1-290-2019-5-एक.—श्री सुदाम पंढरीनाथ खाडे भाप्रसे, (2006), महाप्रबंधक (कार्मिक), मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

(2) उपरोक्तानुसार श्री सुदाम पंढरीनाथ खाडे द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राजीव चन्द्र दुबे, भाप्रसे (2002), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) केवल मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

क्र. ई-1-291-2019-5-एक.—श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल भाप्रसे (2003), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

क्र. ई-1-292-2019-5-एक.—श्रीमती अरूणा गुप्ता, भाप्रसे (2004), संचालक, एम. पी. स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भी घोषित किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 28 जून 2019

क्र. ई-1-295-2019-5-एक.—श्री अशोक कुमार वर्मा, भाप्रसे (2004), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वेयर हाऊसिंग कार्पोरेशन, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सदस्य-सचिव, मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

क्र. ई-1-296-2019-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे, अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री आई. सी. पी. केशरी (1988), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग तथा आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली (अतिरिक्त प्रभार).	वि. क. अ.-सह-आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली.	अध्यक्ष राजस्व मंडल
2.	श्री मोहम्मद सुलेमान (1989), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग तथा प्रवासी भारतीय विभाग तथा वि. क. अ. -सह-सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग (अतिरिक्त प्रभार).	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग तथा प्रवासी भारतीय विभाग तथा योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं वि. क. अ.-सह-सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग, (अतिरिक्त प्रभार).	—

(2) श्री के. सी. गुप्ता, भाप्रसे (1992) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग तथा आयुक्त, उद्योग, मध्यप्रदेश एवं प्रबंध संचालक, लघु उद्योग निगम, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2019

क्र. ई-1-294-2019-5-एक.—श्री पी. नरहरि, भाप्रसे (2001), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग एवं आयुक्त, जनसंपर्क तथा आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग भी घोषित किया जाता है.

क्र. ई-1-301-2019-5-एक.—श्री प्रभांशु कमल, भाप्रसे (1985), कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अध्यक्ष प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(2) उपरोक्तानुसार श्री प्रभांशु कमल द्वारा अध्यक्ष, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रमोद अग्रवाल, भाप्रसे (1991) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड (अतिरिक्त प्रभार) तथा अध्यक्ष, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (अतिरिक्त प्रभार) केवल अध्यक्ष, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

क्र. ई-5-620-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती नीलम शमी राव, भाप्रसे, (1993), प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 9 मई 2019 द्वारा दिनांक 30 मई से 13 जून 2019 तक, पन्द्रह दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, मैं आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 30 मई से 10 जून 2019 तक, बारह दिन का संशोधित/पुनरीक्षित एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश कार्योंतर स्वीकृत किया जाता है.

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 9 मई 2019 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

क्र. ई-5-689-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री उमाकांत उमराव, आयएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण एवं पदेन सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 11 जून 2019 द्वारा दिनांक 17 से 22 जून 2019 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, मैं आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 17 से 18 जून 2019 तक, दो दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योंतर स्वीकृत किया जाता है.

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 11 जून 2019 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

क्र. ई-5-895-आयएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. मसूद अख्तर, आयएस., विकअ-सह-सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, भोपाल को दिनांक 7 से 16 अगस्त 2019 तक, दस दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17, 18 अगस्त 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. मसूद अख्तर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विकअ-सह-सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में डॉ. मसूद अख्तर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. मसूद अख्तर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 2019

क्र. ई-1-182-2019-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे, अधिकारी को मुख्य सचिव वेतनमान रुपये 2,25,000/- निश्चित वेतन (पे-मैट्रिक्स-17) में पदोन्नत करते हुए, उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

#### तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नति पर पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री मोहम्मद सुलेमान (1989), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग तथा प्रवासी भारतीय विभाग तथा योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं वि. क. अ.-सह-सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग (अतिरिक्त प्रभार).	अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग तथा प्रवासी भारतीय विभाग तथा योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं वि. क. अ.-सह-सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग (अतिरिक्त प्रभार).	अध्यक्ष राजस्व मण्डल

क्र. ई-1-298-2019-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे, अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

#### तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	डॉ. मसूद अख्तर (2001), वि.क.अ.-सह-सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, भोपाल.	आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण, मध्यप्रदेश भोपाल.	—

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	श्री दुर्गा विजय सिंह (2004), अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग.	सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, भोपाल.	—
3.	श्रीमती जी. व्ही. रश्मि (2005), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल.	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा प्रमुख राजस्व आयुक्त (अतिरिक्त प्रभार).	—
4.	श्रीमती शिल्पा गुप्ता (2008), कार्यपालक संचालक, औद्योगिक विकास निगम, भोपाल.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल.	उप सचिव मध्यप्रदेश शासन
5.	श्री अनुराग वर्मा (2012), आयुक्त, नगर पालिक निगम, सागर.	उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग.	—

(2) उपरोक्तानुसार डॉ. मसूद अख्तर द्वारा आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण मध्यप्रदेश, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती अलका श्रीवास्तव भाप्रसे (2003), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग तथा आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण, मध्यप्रदेश, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) केवल आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण, मध्यप्रदेश, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी.

क्र. ई-1-299-2019-5-एक.—श्री संदीप यादव, भाप्रसे (2000), आयुक्त, पंचायत राज, मध्यप्रदेश, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा, मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2019

क्र. ई-5-481-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री इकबाल सिंह बैस, आयएस., अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल को समसंख्यक पत्र दिनांक 13 जून 2019 द्वारा Just Governance for Human Security Caux Switzerland में आयोजित कांग्रेस में भाग लेने के अनुक्रम में दिनांक 2 से 6 जुलाई 2019 तक, पाँच दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 2 से 12 जुलाई 2019 तक, ग्यारह दिन का संशोधित/पुनरीक्षित एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री इकबाल सिंह बैस की अवकाश अवधि में अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल का प्रभार श्री मनोज श्रीवास्तव, भाप्रसे, अपर मुख्य सचिव पशुपालन विभाग तथा अध्यात्म विभाग तथा मछुआ कल्याण मत्स्य विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री इकबाल सिंह बैस को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री इकबाल सिंह बैस, भाप्रसे द्वारा अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनोज श्रीवास्तव उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री इकबाल सिंह बैस को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री इकबाल सिंह बैस अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2019

क्र. ई-1-293-2019-5-एक.—श्री संदीप यादव, भाप्रसे (2000), आयुक्त, पंचायत राज, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा आयुक्त, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा, मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भी घोषित किया जाता है.

क्र. ई-1-302-2019-5-एक.—श्री राजीव रंजन मीना, भाप्रसे (2012), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग भी घोषित किया जाता है।

क्र. ई-1-304-2019-5-एक.—श्री फैज अहमद किदवई, भाप्रसे (1996), प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड-सह-आयुक्त, मण्डी मध्यप्रदेश, भोपाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से सचिव, मध्यप्रदेश शासन पदस्थ किया जाता है।

(2) श्री अशोक कुमार वर्मा, भाप्रसे (2004), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन, भोपाल तथा सदस्य-सचिव, मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड-सह-आयुक्त, मण्डी, मध्यप्रदेश, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

क्र. ई-5-940-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री राजीव शर्मा, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग एवं उप प्रशासक, राजधानी परियोजना, भोपाल को समसंख्यक आदेश दिनांक 13 जून 2019 द्वारा दिनांक 17 से 29 जून 2019 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, के अनुक्रम में, दिनांक 30 जून से 6 जुलाई 2019 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 13 जून 2019 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी।

क्र. ई-5-1013-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री हिमांशु चन्द्र, आयएएस., अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा को दिनांक 15 से 23 जुलाई 2019 तक, नौ दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14 जुलाई 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री हिमांशु चन्द्र को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री हिमांशु चन्द्र को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हिमांशु चन्द्र, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 9 जुलाई 2019

क्र. ई-5-1013-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 5 जुलाई 2019 जिसके द्वारा श्री हिमांशु चन्द्र, आयएएस., अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा को दिनांक 15 से 23 जुलाई 2019 तक, नौ दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश दिनांक 14 जुलाई 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया है, एतद्वारा निरस्त करते हुए श्री हिमांशु चन्द्र, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छतरपुर को दिनांक 15 से 23 जुलाई 2019 तक, नौ दिनों का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश दिनांक 14 जुलाई 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री हिमांशु चन्द्र को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छतरपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री हिमांशु चन्द्र को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हिमांशु चन्द्र अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2019

क्र. ई-5-776-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री बी. चन्द्रशेखर, भाप्रसे., सचिव, मुख्य मंत्री तथा कार्यपालक संचालक, लोक सेवा प्रबंधन एवं मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन को दिनांक 1 से 10 जुलाई 2019 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री बी. चन्द्रशेखर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मुख्य मंत्री तथा कार्यपालक संचालक, लोक सेवा प्रबंधन एवं मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री बी. चन्द्रशेखर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. चन्द्रशेखर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सुधि रंजन मोहंती, मुख्य सचिव.



भोपाल, दिनांक 26 जून 2019

क्र. ई-5-863-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री कृष्ण गोपाल तिवारी, भाप्रसे (2010), संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण को दिनांक 26 जून से 10 जुलाई 2019 तक, पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री कृष्ण गोपाल तिवारी, भाप्रसे की अवकाश अवधि में उनके कार्य का प्रभार श्री पी. डी. श्रीवास्तव, संयुक्त संचालक, वित्त सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल तिवारी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री कृष्ण गोपाल तिवारी, भाप्रसे द्वारा संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पी. डी. श्रीवास्तव उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री कृष्ण गोपाल तिवारी, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कृष्ण गोपाल तिवारी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-1112-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री शिशिर गोमावत, आयएस., सहायक कलेक्टर, जिला रीवा, दिनांक 24 मई से 01 जून 2018 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री शिशिर गोमावत को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री शिशिर गोमावत, सहायक कलेक्टर, जिला रीवा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शिशिर गोमावत, सहायक कलेक्टर, जिला रीवा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 28 जून 2019

क्र. ई-5-868-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती सूफिया फारूखी वली, आयएस., प्रबंध संचालक, स्टेट सिविल सप्लाय कार्पोरेशन, भोपाल को दिनांक 1 से 10 जुलाई 2019 तक, दस दिन

का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 30 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सूफिया फारूखी वली को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, स्टेट सिविल सप्लाय कार्पोरेशन, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती सूफिया फारूखी वली को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सूफिया फारूखी वली अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 29 जून 2019

क्र. ई-5-1026-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती बेला देवर्षि शुक्ला, आयएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मई 2019 द्वारा स्वीकृत अर्जित अवकाश दिनांक 29 मई से 14 जून 2019 तक, सत्रह दिन के अनुक्रम में दिनांक 15 से 29 जून 2019 तक, पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती बेला देवर्षि शुक्ला, आयएस को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती बेला देवर्षि शुक्ला को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती बेला देवर्षि शुक्ला अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई-5-1049-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अमर पाल सिंह, आयएस., तत्कालीन उपसचिव, मंत्रालय (वर्तमान में उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग) को दिनांक 28 मार्च से 25 मई 2019 तक, उनसठ दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 26 मई 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाशकाल में श्री अमर पाल सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमर पाल सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 1 जुलाई 2019

क्र. ई.-5-978-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अवि प्रसाद, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सीधी को दिनांक 24 जनवरी से 7 मार्च 2019 तक, बयालीस दिन का लघुकृत अवकाश कार्योंतर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्री अवि प्रसाद, भाप्रसे (2014) को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अवि प्रसाद, भाप्रसे (2014) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-1031-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती उर्मिला सुरेन्द्र शुक्ला, भाप्रसे, संचालक, जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान, भोपाल तथा तत्कालीन संचालक, पंचायती राज एवं पदेन उपसचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 22 जून 2019 द्वारा स्वीकृत अर्जित अवकाश दिनांक 6 से 14 जून 2019 तक, नौ दिन निरस्त करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 10 से 22 जून 2019 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश कार्योंतर स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8, 9 जून 2019 एवं 23 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाशकाल में श्रीमती उर्मिला सुरेन्द्र शुक्ला को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती उर्मिला सुरेन्द्र शुक्ला अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2019

क्र. ई.-5-886-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री गणेश शंकर मिश्रा, आयएएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग को दिनांक 14 से 16 जून 2019 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश कार्योंतर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्री गणेश शंकर मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गणेश शंकर मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 2019

क्र. ई.-5-959-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री फ्रेंक नोबल ए., आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कटनी को समसंख्यक आदेश दिनांक 9 मई 2019 द्वारा पूर्व में स्वीकृत

अर्जित अवकाश दिनांक 3 से 22 जून 2019 तक, बीस दिन के अनुक्रम में, दिनांक 23 जून से 20 जुलाई 2019 तक, अट्ठईस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21 जुलाई 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी प्रदान की जाती है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 9 मई 2019 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी।

भोपाल, दिनांक 9 जुलाई 2019

क्र. ई.-5-920-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री नीरज कुमार सिंह, आयएएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को दिनांक 10 से 12 जून 2019 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश कार्योंतर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्री नीरज कुमार सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीरज कुमार सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2019

क्र. ई.-5-546-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री आई सी पी केशरी, भाप्रसे (1988), तत्कालीन अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग (वर्तमान में विकअ-सह-आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली) को दिनांक 13 से 20 जून 2019 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 13 से 14 जून 2019 तक दो दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 15, 16 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित कार्योंतर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्री आई सी पी केशरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आई सी पी केशरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
दीप्ति गौड़ मुकजी, प्रमुख सचिव (कार्मिक)।

भोपाल, दिनांक 1 जुलाई 2019

क्र. एफ-5-04-2011-एक (1).—भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग), नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक के. 13025-02-2018-यू.एस. II, दिनांक 22 मई 2019 द्वारा माननीय श्री विशाल धगत एवं माननीय श्री विशाल मिश्रा की नियुक्ति मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में की गई है।

(2) माननीय न्यायाधिपति श्री विशाल धगट एवं माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री विशाल मिश्रा द्वारा दिनांक 27 मई 2019 को पूर्वाह्न में अपने पद का कार्यभार ग्रहण किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मनीषा सेतिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2019

क्र. एफ-ए-6-34-2015-एक (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 316(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश की राज्यपाल, श्री चन्द्रशेखर रायकवार, अधिवक्ता को मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करती हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 जून 2019

क्र. ई-5-896-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री राजेन्द्र सिंह, आयएस, सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल को समसंख्यक आदेश दिनांक 9 मई 2019 द्वारा दिनांक 29 मई से 12 जून 2019 तक, पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 29 मई से 7 जून 2019 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 8, 9 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 9 मई 2019 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
फजल मोहम्मद, अवर सचिव "कार्मिक".

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

संशोधित आदेश

भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2019

क्र. एफ-1(ए) 105-2016-ब-2-दो.—राज्य शासन, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 18 जून 2019 को निरस्त करते हुए, श्रीमती यांगचेन डी. भूटिया, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, जिला बड़वानी

को खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 17 से 26 जून 2019 तक, कुल दस दिवस अर्जित अवकाश एवं 15-16 जून 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में अकेले गृह नगर पेलिंग (सिक्किम) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत अनुमति एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी।

भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2019

क्र. एफ-1(ए) 93-2017-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्रीमती अनीता मालवीय, भापुसे, सहा. पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को स्वयं के अस्वस्थता के कारण दिनांक 14 जनवरी से 26 मार्च 2019 तक, बहतर दिवस लघुकृत अवकाश की कार्योंत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से एक सौ चवालीस दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती अनीता मालवीय, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अनीता मालवीय, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर बनी रहतीं

क्र.-एफ-1(ए) 157-1993-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री जी. जनार्दन, भापुसे, अमनि/निदेशक, जवाहर लाल नेहरू पुलिस अकादमी, सागर स्वयं के अस्वस्थता के कारण दिनांक 15 अप्रैल से 12 मई 2019 तक अट्ठाईस दिवस लघुकृत अवकाश की कार्योंत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से छप्पन दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री जी. जनार्दन, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. जनार्दन, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
श्रीदास, अवर सचिव.

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2019

फा. क्र. 3607-2019-इक्कीस-ब (एक).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2010 में संशोधन से संबंधित इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1007-2017-इक्कीस-ब-(एक), दिनांक 21 मार्च, 2017, जो मध्यप्रदेश के राजपत्र में 24 मार्च, 2017 को प्रकाशित हुई थी, को विखण्डित करते हैं।

Fl. No. 3607-2019-XXI-B (One).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, rescinds this department's notification F. No. 1007-2017-XXI-B (1), dated 21<sup>st</sup> March, 2017, which was published in the Madhya Pradesh Gazette dated 24<sup>th</sup> March, 2017 regarding the amendments in the Madhya Pradesh Judicial Service (Revision of Pay, Pension and Other Retirement Benefits) Rules, 2010.

भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2019

फा. क्र. 1-2019-इक्कीस-ब (एक), 3628.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा दिनांक 11 जुलाई, 2019 को मान्य करते हुए सुश्री दिव्या गुप्ता, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, ग्वालियर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (प्रशिक्षु न्यायाधीश), ग्वालियर, मध्यप्रदेश का त्यागपत्र दिनांक 31 जुलाई 2019 के अपरान्ह से स्वीकृत करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 18 जुलाई 2019

फाईल क्र. 2734-2018-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, नोटरी अधिनियम, 1952 (क्रमांक 53 सन् 1952) की धारा 10 के खण्ड (घ) सहपठित नोटरी नियम, 1956 के नियम 13 के उपनियम (12) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (ii) के अंतर्गत एतद्द्वारा श्री रविन्द्र कुमार जैन, नोटरी, जिला हरदा को तत्काल प्रभाव से उनके नोटरी व्यवसाय के वर्तमान प्रमाण-पत्र की विनिर्दिष्ट अवधि अर्थात् दिनांक 15 जून 2020 तक की अवधि के लिये नोटरी व्यवसाय से निलंबित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. पी. शुक्ल, अतिरिक्त सचिव.

## औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2019

क्र. एफ 17-04-2019-ए-ग्यारह.—राज्य शासन, एतद्द्वारा निर्णय लिया गया है कि लॉजिस्टिक एवं वेहरहाउसिंग हब/पार्क को आवंटित/लीज पर दिये गये भू-खण्डों हेतु लीज निष्पादन के संबंध में मध्यप्रदेश भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में भू-खण्डों हेतु अनुमोदित लीडडीड के प्रारूप में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

1. पैरा एक में General Manager District Trade & Industries Centre/Managing Director, Madhya Pradesh Audyogik Kendra Vikas Nigam के स्थान पर Executive Director, Madhya Pradesh Industrial Development Corporation Limited Regional Office.
2. पैरा दो प्रयोजन हेतु Logistic and Warehousing Hub/Park जोड़ा जाना.
3. कण्डिका एक में आदेश दिनांक 1 अप्रैल 2015 के पश्चात् Order Number F-16-16-2017-A-Eleven, dated 22-6-2018.
4. कण्डिका चार में Provisionally and subject to the Govt. Orders जोड़ा जाना.
5. कण्डिका पांच में Industrial Plot/Land के स्थान पर Logistic and Warehousing Hub/Park एवं District Trade & Industries Centre/MP Audyogik Kendra Vikas Nigam के स्थान पर M. P. Industrial Development Corporation Limited Regional Office तथा General Manager/Managing Director के स्थान पर Executive Director.
6. कण्डिका ग्यारह में Prevailing lease rent whichever is less जोड़ा जाना.
7. कण्डिका ग्यारह में any activity of the lessee which may cause or is causing inconvenience to nearby Industrial unit in proper functioning of their activities can be ground to cancel the lease deed of lessee.
8. कण्डिका सत्रह में or otherwise के स्थान पर builtup space erected there upon but shall not.
9. कण्डिका चौबीस में उद्योग वर्गीकरण माइक्रो स्मॉल स्केल इण्डस्ट्रीयल यूनिट के प्रावधान विलोपित किये जाकर लार्ज एण्ड मीडियम इण्डस्ट्रीयल यूनिट के प्रावधान लॉजिस्टिक एवं वेयर हाउसिंग प्रयोजन हेतु मान्य बावत् संशोधन किया जाना.

10. कण्डिका इकतीस में आदेश दिनांक 1 अप्रैल 2015 के पश्चात् Order Number F-16-16-2017-A-Eleven, dated 22 June 2018.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2019

क्र. एफ 17-07-2019-ए-ग्यारह.—विभागीय आदेश क्रमांक एफ 20-01-2010-बी-ग्यारह, दिनांक 4 जनवरी 2011 द्वारा जारी मार्गदर्शी बिन्दु एवं मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 की कण्डिका क्रमांक 4(2) में उल्लेखित प्रावधान अनुसार निम्न क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है :-

क्र.	औद्योगिक क्षेत्र के नाम	जिला	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	औद्योगिक क्षेत्र झांझरवाड़ा-धामनिया	नीमच	85.96

क्र. एफ 17-06-2019-ए-ग्यारह.—विभागीय आदेश क्रमांक एफ 20-01-2010-बी-ग्यारह, दिनांक 4 जनवरी 2011 द्वारा जारी मार्गदर्शी बिन्दु एवं मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 की कण्डिका क्रमांक 4(2) में उल्लेखित प्रावधान अनुसार निम्न क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है :-

क्र.	औद्योगिक क्षेत्र के नाम	जिला	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	औद्योगिक क्षेत्र ताजपुर	उज्जैन	82.84

क्र. एफ 17-03-2019-ए-ग्यारह.—विभागीय आदेश क्रमांक एफ 20-01-2010-बी-ग्यारह, दिनांक 4 जनवरी 2011 द्वारा जारी मार्गदर्शी बिन्दु एवं मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 की कण्डिका क्रमांक 4(2) में उल्लेखित प्रावधान अनुसार निम्न क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है :-

क्र.	औद्योगिक क्षेत्र के नाम	जिला	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	औद्योगिक क्षेत्र मोहासा-बाबई	होशंगाबाद	679.59 (आवासीय एवं ग्रीनबेल्ट हेतु क्षेत्रफल 47.61 हेक्टेयर भूमि शामिल है.)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
व्ही. के. बरोनिया, उपसचिव.

## जेल विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2019

क्र. एफ 06-16-2002-तीन-जेल.—जेल प्रिजन्स एक्ट, 1894 की धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, पुरानी जेल परिसर एवं भैल, दशहरा मैदान, भोपाल को विधान सभा बैठक दिनांक 8 जुलाई 2019 से 26 जुलाई 2019 के दौरान अस्थायी जेल घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अजय नथानियल, अपर सचिव.

## श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2019

क्र. एफ 1(ए)06-2016-ए-सोलह.—राज्य शासन, एतद्वारा, माननीय उच्च न्यायालय प्रपत्र क्र. 766-confd-2019, दिनांक 2 जुलाई 2019 के अनुक्रम में, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्र. 17(ई)67-2008-3537-2019-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 6 जुलाई 2019 द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों की सेवाएं श्रमायुक्त संगठन के अन्तर्गत श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर सौंपी है, की पदस्थापना उनके नाम के सम्मुख अंकित श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से आगामी आदेश तक की जाती है.

क्र.	नाम तथा पद	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री रामप्रकाश अहीरवार, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, रीवा (म. प्र.) (रिक्त न्यायालय).
2	श्री मुकेश गुप्ता, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, सीधी (म.प्र.) (रिक्त न्यायालय).

भोपाल, दिनांक 18 जुलाई 2019

कं. एफ 01(ए)07/2019/ए-16, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 7 के साथ पठित धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ (बी) 1-2014-ए-सोलह, दिनांक 2 जुलाई, 2014 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड का निम्नानुसार पुर्नगठन करती है:-

शासकीय अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए स्वतंत्र व्यक्ति-

1. श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश, इंदौर - अध्यक्ष
2. संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश शासन, विध्याचल भवन, भोपाल - सदस्य
3. श्रीमती शिखा जोशी, महामंत्री, स्वाश्रयी महिला सेवा संघ, 86-बी, वैशाली नगर, इंदौर - सदस्य
4. डॉ. धनराज डोगरे, सहायक प्राध्यापक, - सदस्य  
डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय  
(राज्य विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश शासन)  
डॉ. अम्बेडकर नगर (महू)- 453441, जिला-इंदौर (मध्यप्रदेश)

नियोक्ता के प्रतिनिधि-

1. श्री कैलाश अग्रवाल, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज आग्रेनाइजेशन, - सदस्य  
ई-2/30, अरेरा कॉलोनी, भोपाल-462016
2. श्री डी. के मित्तल, डिप्टी चेयरमेन, दि मध्यप्रदेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन, - सदस्य  
खाल बुजुर्ग, पोस्ट मराल सरोवर, ए.बी. रोड, जिला-खरगोन-451660
3. श्री सौरभ सांगला, अध्यक्ष, सी.आई.आई. मालवा जोनल काउंसिल एण्ड - सदस्य  
एकजीक्यूटीव डायरेक्टर, एड्रो इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड  
(कान्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (सी.आई.आई) ई-2/109, अरेरा कॉलोनी,  
नर्मदा हॉस्पिटल के पास, भोपाल (मध्यप्रदेश) 462016
4. श्री आलोक दवे, अध्यक्ष, एसोसिएशन ऑफ इण्डस्ट्रीज मध्यप्रदेश - सदस्य  
96, उद्योग भवन, पोलोग्राउण्ड, इंदौर (मध्यप्रदेश)
5. श्री अर्जुन खन्ना, मध्यप्रदेश बीडी उद्योग संघ, 1 सिविल लाईन्स, - सदस्य  
श्री बाबुराव पिंपलापुरे मार्ग, सागर (मध्यप्रदेश)

श्रमिकों के प्रतिनिधि-

1. श्री सुधीर चतुर्वेदी, प्रदेश विधिक सलाहकार, भारतीय मजदूर संघ, मध्यप्रदेश  
ठेंगडी भवन, भारत माता चौराहा (डिपो चौराहा) भदभदा रोड,  
भोपाल (मध्यप्रदेश)-462003 - सदस्य
2. श्री शंकर सिंह तिवारी, उपाध्यक्ष, मध्यप्रदेश राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक,  
एम. 57-3/ए, साकेत नगर, हबीबगंज, भोपाल (मध्यप्रदेश)-462024 - सदस्य
3. श्री प्रमोद प्रधान, प्रांतीय महासचिव, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स (सीटू)  
13-बी, पद्मनाभ नगर, भोपाल (मध्यप्रदेश)-462023 - सदस्य
4. श्री अजित जैन, प्रांतीय उपाध्यक्ष, एटक राज्य परिषद्,  
अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक),  
शाकिर सदन, 5 पटेल नगर, लेबर कॉलोनी, भोपाल (मध्यप्रदेश) -462001 - सदस्य

5. श्री हरिओम सूर्यवंशी, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष, हिन्द मजदूर सभा मध्यप्रदेश  
142/1 प्रोफेसर कॉलोनी, भोपाल (मध्यप्रदेश) – सदस्य  
राज्य सरकार, न्यूनतम वेतन (मध्यप्रदेश) नियम, 1958 के नियम 7 के उपनियम (1) के अधीन एतद्  
द्वारा उप श्रम आयुक्त, श्रम आयुक्त कार्यालय, इंदौर को उपरोक्त बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्ति करती है।

No. F 01(A)07/2019/A-16 In exercise of the powers conferred by section 7 read with section 9 of the Minimum Wages Act. 1948 (No. 11 of 1948), and in supersession of this department's notification No. F(B) 1-2014-A-XVI, dated 2<sup>nd</sup> july, 2014, The State Government, hereby, reconstitutes the Madhya Pradesh Minimum Wages Advisory Board as follows :-

**Independent persons including the government officials.-**

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Labour Commissioner, Madhya Pradesh , Indore   | - Chairman |
| 2. Director, Directorate of Economics and Statistics, Government of Madhya Pradesh,<br>Vindhyachal Bhavan, Bhopal   | - Member   |
| 3. Smt. Shikha Joshi, Maha Mantri , Swashrayee Mahila Seva Sangh, 86-B, Vaishali Nagar, Indore  | - Member   |
| 4. Dr. Dhanraj Dongre, Assistant Professor  | - Member   |
| Dr. BR Ambedkar Social Science University (State University, Government of Madhya Pradesh)<br>Dr. Ambedkar Nagar (Mhow) -453441 District- Indore Madhya Pradesh | - Member   |

**Representatives of Employers -**

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Shri Kailash Agarwal, President, Madhya Pradesh Small Scale Industries Organizations,<br>E-2/30, Arera Colony, Bhopal-462016                          | - Member |
| 2. Mr. D. K Mittal, Deputy Chairman, The Madhya Pradesh Textile Mills Association,<br>Khal Bujurg Po. Maral Sarovar, A.B. Road, District-Khargone-451660 | - Member |

- |   |  |          |
|---|--|----------|
| 3 | Mr. Saurabh Sangla, Chairman, CII Malwa Zonal Council and Executive Director, Adro Industries India Ltd<br>(Confederation of Indian Industries (CII) E-2/109, Arera Colony,<br>Near Narmada Hospital, Bhopal (MP) 462016 | - Member |
| 4 | Shri Alok Dave, President, Assosiation of Industries, Madhya Pradesh<br>96, Udyog Bhawan, Polo Ground, Indore Madhya Pradesh   | - Member |
| 5 | Shri Arjun Khanna, Madhya Pradesh Beedi Industry Association, 1 Civil Lines,<br>Shri Baburao Pimpalpure Marg, Sagar (M.P.)   | - Member |

**Representatives of workers-**

- |   |   |          |
|---|---|----------|
| 1 | -Mr. Sudhir Chaturvedi, State Legal Advisor, Bhartiya Mazdoor Sangh, Madhya Pradesh<br>Thengdi Bhawan, Bharat Mata Chouraha (Depot Chouraha) Bhadbhada Road,<br>Bhopal Madhya Pradesh -462003 | - Member |
| 2 | Shri Shankar Singh Tiwari, Vice President, Madhya Pradesh National Labour Congress (INTUC)<br>M.57-3 / A, Saket Nagar, Habibganj, Bhopal (M.P.) - 462024                                      | - Member |
| 3 | Shri Pramod Pradhan, Provincial General Secretary, Center of Indian Trade Unions (CITU)<br>13-B, Padmanabha Nagar, Bhopal Madhya Pradesh - 462023   | - Member |
| 4 | Shri Ajit Jain, Provincial Vice President, AITUC State Council,<br>All India Trade Union Congress (AITUC),<br>Shakir Sadan, 5 Patel Nagar, Labour Colony, Bhopal (MP) -462001                 | - Member |
| 5 | Shri Hariom Suryavanshi, Senior Vice President, Hind Mazdoor Sabha, Madhya Pradesh<br>142/1 Professor Colony, Bhopal (MP)   | - Member |

The State Government hereby appoints the Assistant Labour Commissioner, Labour Commissioner Office, Indore, as The Secretary of the aforesaid Board under sub-rule (1) of rule 7 of the Minimum Wage (Madhya Pradesh) Rules, 1958.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मालसिंह, अपर सचिव.



**विभाग प्रमुखों के आदेश**  
**उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश**  
(स्थापना कक्ष)

क्र. 15-स्था.-1-ब-2019-234

भोपाल, दिनांक 19 जून 2019

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल के अधीनस्थ कार्यालयों में पदस्थ सहायक प्रबंधकों की विभागीय परीक्षा जो दिनांक 13 मार्च 2019 को प्रश्नपत्र ( सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग ) " उद्योग विभाग संबंधी नियम, अधिनियम " विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

क्र.	जिले का नाम	कर्मचारी का नाम	पदस्थापना स्थान	श्रेणी
(1)	2	3	4	5
1	सिंगरौली	श्री अनन्त लक्ष्मण वाकडे	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र सिंगरौली	निम्न
2	ग्वालियर	श्री भावेश शर्मा	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ग्वालियर	सश्रेय
3	गुना	श्री सतेन्द्र सिंह धाकड	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र गुना	निम्न
4	अलिराजपुर	श्री प्रिंस रघुवंशी	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अलिराजपुर	निम्न
5	बड़वानी	श्री चंचल ठाकरे	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बड़वानी	उच्च
6	अनूपपुर	श्री दीपेन्द्र कुमार पयासी	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अनूपपुर	उच्च
7	मुरैना	श्री राजीव शर्मा	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र मुरैना	निम्न
8	खरगोन	श्री अजितेश आर्य	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र खरगोन	निम्न
9	बैतूल	श्री आशीष पालीवाल	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बैतूल	उच्च
10	पन्ना	श्री विवेक यादव	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र पन्ना	निम्न
11	उमरिया	श्री दीपक गुप्ता	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र उमरिया	उच्च
12	दमोह	श्री अशोक शर्मा	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दमोह	निम्न

क.	जिले का नाम	कर्मचारी का नाम	पदस्थापना स्थान	श्रेणी
1	2	3	4	5
13	खण्डवा	श्री आदित्य मोहन गुप्ता	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र खण्डवा	निम्न
14	विदिशा	सुश्री जयंती कुमारी	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र विदिशा	उच्च
15	मुरैना	सुश्री प्रियंका अग्रवाल	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र मुरैना	निम्न
16	नरसिंहपुर	सुश्री मेघा पाठक	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र नरसिंहपुर	निम्न
17	भोपाल	सुश्री प्रियंका गोयल	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र भोपाल	निम्न
18	सागर	श्री प्रवीण कुमार कुलदीप	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र सागर	उच्च
19	अशोकनगर	श्री ललित मन्द्रई	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अशोकनगर	निम्न
20	दतिया	श्री संजय सिंह सोलंकी	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दतिया	निम्न
21	सीहोर	श्री लोकेन्द्र बोरासी	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र सीहोर	निम्न
22	जबलपुर	सुश्री पूजा नागवंशी	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जबलपुर	निम्न
23	इन्दौर	श्री हेमन्त चौहान	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र इन्दौर	निम्न
24	सिंगरौली	श्री संदीप गोटिया	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र सिंगरौली	निम्न
25	खण्डवा	श्री विजयनारायण सिंह ठाकुर	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र खण्डवा	सश्रेय
26	छिंदवाडा	श्री दीपक जामरा	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र छिंदवाडा	उच्च
27	अलीराजपुर	श्री रितेश मण्डलोई	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अलीराजपुर	निम्न
28	डिण्डौरी	श्री अभिषेक मरकाम	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र डिण्डौरी	उच्च

क.	जिले का नाम	कर्मचारी का नाम	पदस्थापना स्थान	श्रेणी
1	2	3	4	5
29	हरदा	श्री सुरेश कुमार सलामे	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र हरदा	निम्न
30	बुरहानपुर	श्री राजेश कुमार अलावा	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बुरहानपुर	उच्च
31	नीमच	श्री रवि चौहान	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र नीमच	निम्न
32	जबलपुर	सुश्री रागिनी कोल	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जबलपुर	उच्च
33	इन्दौर	सुश्री दीपिका ठाकुर	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र इन्दौर	उच्च
34	उज्जैन	सुश्री बेला सिंह	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र उज्जैन	निम्न
35	रायसेन	श्री मनोज यादव	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायसेन	निम्न
36	रीवा	श्री नीलेश कुमार साहू	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रीवा	निम्न
37	रतलाम	सुश्री रितु चौरसिया	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रतलाम	निम्न
38	टीकमगढ़	श्री हितेश धाकड	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र टीकमगढ़	उच्च
39	छतरपुर	श्री विवेक कुमार द्विवेदी	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र छतरपुर	उच्च
40	भिण्ड	श्री आन्नद शर्मा	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र भिण्ड	निम्न
41	नीमच	सुश्री प्रगति शर्मा	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र नीमच	उच्च
42	रीवा	श्री विनोद मेहरा	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रीवा	निम्न
43	श्योपुर	श्री नवल किशोर जाटव	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र श्योपुर	उच्च
44	बड़वानी	सुश्री मोनिका मालवीय	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बड़वानी	उच्च

क.	जिले का नाम	कर्मचारी का नाम	पदस्थापना स्थान	श्रेणी
1	2	3	4	5
45	इन्दौर	सुश्री पार्वती मौर्य	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र इन्दौर	निम्न
46	होशंगाबाद	श्री सुनील कुमार शर्मा	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र होशंगाबाद	निम्न
47	दतिया	श्री हरिओम तिवारी	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दतिया	निम्न
48	रतलाम	श्री नीरज कुमार बारकडे	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रतलाम	निम्न
49	धार	श्री अतुल मरावी	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र धार	उच्च

क्र. 15-स्था.-1-ब-2019-235

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल के अधीनस्थ कार्यालयों में पदस्थ सहायक प्रबंधकों की विभागीय परीक्षा जो दिनांक 14 मार्च 2019 को प्रश्नपत्र ( सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग ) " लेखा" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

क.	जिले का नाम	कर्मचारी का नाम	पदस्थापना स्थान	उत्तीर्ण होने की श्रेणी
1	2	3	4	6
1	सिंगरौली	श्री अनन्त लक्ष्मण वाकडे	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र सिंगरौली	उच्च
2	शहडोल	श्री सौरभ त्रिपाठी	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र शहडोल	निम्न
3	ग्वालियर	श्री भावेश शर्मा	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ग्वालियर	सश्रेय
4	गुना	श्री सतेन्द्र सिंह धाकड	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र गुना	निम्न
5	बड़वानी	श्री चंचल ठाकरे	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बड़वानी	निम्न

क.	जिले का नाम	कर्मचारी का नाम	पदस्थापना स्थान	उत्तीर्ण होने की श्रेणी
1	2	3	4	6
6	अनूपपुर	श्री दीपेन्द्र कुमार पयासी	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अनूपपुर	उच्च
7	मुरैना	श्री राजीव शर्मा	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र मुरैना	उच्च
8	खरगोन	श्री अजितेश आर्य	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र खरगोन	उच्च
9	बैतूल	श्री आशीष पालीवाल	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बैतूल	उच्च
10	पन्ना	श्री विवेक यादव	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र पन्ना	सश्रेय
11	उमरिया	श्री दीपक गुप्ता	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र उमरिया	सश्रेय
12	दमोह	श्री अशोक शर्मा	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दमोह	सश्रेय
13	खण्डवा	श्री आदित्य मोहन गुप्ता	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र खण्डवा	उच्च
14	विदिशा	सुश्री जयंती कुमारी	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र विदिशा	उच्च
15	राजगढ़	सुश्री सौम्या मलिक	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र राजगढ़	उच्च
16	गुना	सुश्री अनुश्री सक्सेना	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र गुना	निम्न
17	नरसिंहपुर	सुश्री मेघा पाठक	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र नरसिंहपुर	सश्रेय
18	भोपाल	सुश्री प्रियंका गोयल	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र भोपाल	सश्रेय
19	सागर	श्री प्रवीण कुमार कुलदीप	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र सागर	सश्रेय

क.	जिले का नाम	कर्मचारी का नाम	पदस्थापना स्थान	उत्तीर्ण होने की श्रेणी
1	2	3	4	6
20	अशोकनगर	श्री ललित मन्द्रई	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अशोकनगर	सश्रेय
21	सीहोर	श्री लोकेन्द्र बोरासी	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र सीहोर	उच्च
22	अशोकनगर	सुश्री सपना अहिरवार	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अशोकनगर	उच्च
23	जबलपुर	सुश्री पूजा नागवंशी	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जबलपुर	सश्रेय
24	इन्दौर	श्री हेमन्त चौहान	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र इन्दौर	उच्च
25	सिंगरौली	श्री संदीप गोटिया	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र सिंगरौली	उच्च
26	खण्डवा	श्री विजयनारायण सिंह ठाकुर	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र खण्डवा	सश्रेय
27	छिंदवाडा	श्री दीपक जामरा	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र छिंदवाडा	सश्रेय
28	अलीराजपुर	श्री रितेश मण्डलोई	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अलीराजपुर	सश्रेय
29	डिण्डौरी	श्री अभिषेक मरकाम	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र डिण्डौरी	उच्च
30	हरदा	श्री सुरेश कुमार सलामे	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र हरदा	निम्न
31	बुरहानपुर	श्री राजेश कुमार अलावा	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बुरहानपुर	निम्न
32	नीमच	श्री रवि चौहान	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र नीमच	उच्च
33	जबलपुर	सुश्री रागिनी कोल	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जबलपुर	उच्च

क.	जिले का नाम	कर्मचारी का नाम	पदस्थापना स्थान	उत्तीर्ण होने की श्रेणी
1	2	3	4	6
34	इन्दौर	सुश्री दीपिका ठाकुर	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र इन्दौर	उच्च
35	उज्जैन	सुश्री बेला सिंह	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र उज्जैन	निम्न
36	शहडोल	सुश्री पुष्पांजलि सिंह मरावी	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र शहडोल	निम्न
37	रायसेन	श्री मनोज यादव	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायसेन	उच्च
38	रीवा	श्री नीलेश कुमार साहू	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रीवा	उच्च
39	बालाघाट	सुश्री कात्यायनी वर्मा	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बालाघाट	उच्च
40	रतलाम	सुश्री रितु चौरसिया	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रतलाम	उच्च
41	छिंदवाडा	सुश्री वीना चौहान	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र छिंदवाडा	उच्च
42	उमरिया	श्री आदित्य प्रसाद द्विवेदी	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र उमरिया	उच्च
43	इन्दौर	श्री राजेश डामोर	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र इन्दौर	उच्च
44	उज्जैन	श्री मयंक डावर	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र उज्जैन	उच्च
45	बालाघाट	श्री ऋषिकांत ठाकुर	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बालाघाट	सश्रेय
46	टीकमगढ़	श्री हितेश धाकड	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र टीकमगढ़	उच्च
47	छतरपुर	श्री विवेक कुमार द्विवेदी	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र छतरपुर	उच्च

क्र.	जिले का नाम	कर्मचारी का नाम	पदस्थापना स्थान	उत्तीर्ण होने की श्रेणी
1	2	3	4	6
48	भिण्ड	श्री आन्नद शर्मा	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र भिण्ड	उच्च
49	नीमच	सुश्री प्रगति शर्मा	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र नीमच	निम्न
50	रीवा	श्री विनोद मेहरा	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रीवा	उच्च
51	श्योपुर	श्री नवल किशोर जाटव	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र श्योपुर	उच्च
52	बड़वानी	सुश्री मोनिका मालवीय	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बड़वानी	उच्च
53	इन्दौर	सुश्री पार्वती मौर्य	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र इन्दौर	उच्च
54	छतरपुर	श्री नरेन्द्र सिंह धाकड़	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र छतरपुर	निम्न
55	होशंगाबाद	श्री सुनील कुमार शर्मा	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र होशंगाबाद	उच्च
56	दतिया	श्री हरिओम तिवारी	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दतिया	उच्च
57	आगर मालवा	श्री मुकेश कुमार वैष्णव	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र आगर मालवा	निम्न
58	रतलाम	श्री नीरज कुमार बारकडे	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रतलाम	निम्न
59	धार	श्री अतुल मरावी	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र धार	उच्च
60	जबलपुर	श्री वीरेन्द्र कुमार परते	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जबलपुर	उच्च



क्र. 15-स्था.-1-ब-2019-236.—

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल के अधीनस्थ कार्यालयों में पदस्थ सहायक प्रबंधकों की विभागीय परीक्षा जो दिनांक 13 मार्च 2019 को प्रश्नपत्र ( सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग ) " प्रक्रिया विकास योजनाएँ " विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

क.	जिला	कर्मचारी का नाम	पदस्थापना स्थान	उत्तीर्ण होने की श्रेणी
1	2	3	4	5
1	सिंगरौली	श्री अनन्त लक्ष्मण वाकडे	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र सिंगरौली	उच्च
2	शहडोल	श्री सौरभ त्रिपाठी	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र शहडोल	निम्न
3	ग्वालियर	श्री भावेश शर्मा	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ग्वालियर	उच्च
4	गुना	श्री सतेन्द्र सिंह धाकड	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र गुना	निम्न
5	अलिराजपुर	श्री प्रिंस रघुवंशी	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अलिराजपुर	निम्न
6	बड़वानी	श्री चंचल ठाकरे	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बड़वानी	निम्न
7	अनूपपुर	श्री दीपेन्द्र कुमार पयासी	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अनूपपुर	निम्न
8	मुरैना	श्री राजीव शर्मा	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र विदिशा	निम्न
9	खरगोन	श्री अजितेश आर्य	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र खरगोन	उच्च
10	बैतूल	श्री आशीष पालीवाल	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बैतूल	उच्च
11	पन्ना	श्री विवेक यादव	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र पन्ना	निम्न

क.	जिला	कर्मचारी का नाम	पदस्थापना स्थान	उत्तीर्ण होने की श्रेणी
1	2	3	4	5
12	उमरिया	श्री दीपक गुप्ता	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र उमरिया	उच्च
13	दमोह	श्री अशोक शर्मा	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दमोह	निम्न
14	विदिशा	सुश्री जयंती कुमारी	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र विदिशा	उच्च
15	राजगढ़	सुश्री सौम्या मलिक	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र राजगढ़	निम्न
16	गुना	सुश्री अनुश्री सक्सेना	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र गुना	निम्न
17	मुरैना	सुश्री प्रियंका अग्रवाल	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र मुरैना	उच्च
18	हरदा	सुश्री जूही तिवारी	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र हरदा	निम्न
19	नरसिंहपुर	सुश्री मेघा पाठक	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र नरसिंहपुर	उच्च
20	भोपाल	सुश्री प्रियंका गोयल	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र भोपाल	उच्च
21	सागर	श्री प्रवीण कुमार कुलदीप	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र सागर	निम्न
22	अशोकनगर	श्री ललित मन्द्रई	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अशोकनगर	निम्न
23	दतिया	श्री संजय सिंह सोलंकी	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दतिया	निम्न
24	अशोकनगर	सुश्री सपना अहिरवार	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अशोकनगर	निम्न
25	जबलपुर	सुश्री पूजा नागवंशी	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जबलपुर	निम्न
26	इन्दौर	श्री हेमन्त चौहान	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र इन्दौर	निम्न

क.	जिला	कर्मचारी का नाम	पदस्थापना स्थान	उत्तीर्ण होने की श्रेणी
1	2	3	4	5
27	सिंगरौली	श्री संदीप गोटिया	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र सिंगरौली	निम्न
28	खण्डवा	श्री विजयनारायण सिंह ठाकुर	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र खण्डवा	निम्न
29	छिंदवाडा	श्री दीपक जामरा	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र छिंदवाडा	निम्न
30	अलीराजपुर	श्री रितेश मण्डलोई	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अलीराजपुर	निम्न
31	डिण्डौरी	श्री अभिषेक मरकाम	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र डिण्डौरी	निम्न
32	हरदा	श्री सुरेश कुमार सलामे	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र हरदा	निम्न
33	बुरहानपुर	श्री राजेश कुमार अलावा	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बुरहानपुर	निम्न
34	खरगोन	श्री राजीव बारदे	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र खरगोन	निम्न
35	रीवा	श्री संदीप कोल	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रीवा	निम्न
36	नीमच	श्री रवि चौहान	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र नीमच	उच्च
37	जबलपुर	सुश्री रागिनी कोल	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जबलपुर	उच्च
38	इन्दौर	सुश्री दीपिका ठाकुर	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र इन्दौर	निम्न
39	उज्जैन	सुश्री बेला सिंह	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र उज्जैन	निम्न
40	शहडोल	सुश्री पुष्पांजलि सिंह मरावी	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र शहडोल	निम्न
41	रायसेन	श्री मनोज यादव	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायसेन	उच्च

क.	जिला	कर्मचारी का नाम	पदस्थापना स्थान	उत्तीर्ण होने की श्रेणी
1	2	3	4	5
42	रीवा	श्री नीलेश कुमार साहू	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रीवा	निम्न
43	रतलाम	सुश्री रितु चौरसिया	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रतलाम	निम्न
44	छिंदवाडा	सुश्री वीना चौहान	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र छिंदवाडा	निम्न
45	बालाघाट	श्री ऋषिकांत ठाकुर	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बालाघाट	निम्न
46	टीकमगढ़	श्री हितेश धाकड़	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र टीकमगढ़	निम्न
47	छतरपुर	श्री विवेक कुमार द्विवेदी	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र छतरपुर	निम्न
48	भिण्ड	श्री आन्नद शर्मा	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र भिण्ड	निम्न
49	नीमच	सुश्री प्रगति शर्मा	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र नीमच	निम्न
50	रीवा	श्री विनोद मेहरा	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रीवा	निम्न
51	श्यापुर	श्री नवल किशोर जाटव	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र श्यापुर	उच्च
52	बड़वानी	सुश्री मोनिका मालवीय	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बड़वानी	निम्न
53	इन्दौर	सुश्री पार्वती मौर्य	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र इन्दौर	निम्न
54	छतरपुर	श्री नरेन्द्र सिंह धाकड़	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र छतरपुर	निम्न
55	होशंगाबाद	श्री सुनील कुमार शर्मा	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र होशंगाबाद	निम्न
56	दतिया	श्री हरिओम तिवारी	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दतिया	निम्न

क.	जिला	कर्मचारी का नाम	पदस्थापना स्थान	उत्तीर्ण होने की श्रेणी
1	2	3	4	5
57	आगर मालवा	श्री मुकेश कुमार वैष्णव	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र आगर मालवा	उच्च
58	रतलाम	श्री नीरज कुमार बारकडे	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रतलाम	उच्च
59	धार	श्री अतुल मरावी	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र धार	निम्न
60	जबलपुर	श्री वीरेन्द्र कुमार परते	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जबलपुर	निम्न

शैलेन्द्र सिंह चौहान, सहायक संचालक.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सतना, मध्यप्रदेश

सतना, दिनांक 27 जून 2019

क्र. 229-5-अ-एससी-2-2019.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-19-196-2003-एक-4, भोपाल, दिनांक 28 जून 2004 द्वारा गठित समिति के निर्णय के अनुसरण में, उपरोक्त शासन की कंण्डिका 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, शासकीय उ. मा. विद्यालय, चोरमारी का नामकरण “स्वर्गीय श्री शत्रुघ्न सिंह तिवारी, शासकीय उ. मा. विद्यालय चोरमारी” किये जाने का आदेश दिया जाता है.

सतेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिंगरौली, दिनांक 12 जुलाई 2019

क्रमांक 278-भू-अर्जन-2019.—ललितपुर-सिंगरौली रेलवे लाइन से प्रभावित सिंगरौली जिले के 22 ग्रामों की भूमियों के अर्जन हेतु भूमि पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत नीचे दी गई अनुसूची अनुसार अधिसूचनाएं जारी की जाकर मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 20 जुलाई 2018 में प्रकाशित कराई गई थी साथ ही स्थानीय समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित कराया गया था.

## अनुसूची

स. क्र.	घोषणा क्रमांक एवं दिनांक	अर्जन हेतु अधिसूचित भूमि		
		ग्राम	तहसील	क्षेत्रफल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	221/भू-अर्जन/2018, सिंगरौली, दिनांक 30-6-2018	झोखो	चितरंगी	12.493 हे.
2	223/भू-अर्जन/2018, सिंगरौली, दिनांक 30-6-2018	रेही	चितरंगी	5.726 हे.
3	225/भू-अर्जन/2018, सिंगरौली, दिनांक 30-6-2018	खम्हरिया खुर्द	चितरंगी	2.884 हे.
4	227/भू-अर्जन/2018, सिंगरौली, दिनांक 30-6-2018	खम्हरिया कला	चितरंगी	19.474 हे.
5	229/भू-अर्जन/2018, सिंगरौली, दिनांक 30-6-2018	आमो	देवसर	13.458 हे.
6	231/भू-अर्जन/2018, सिंगरौली, दिनांक 30-6-2018	बडोखर	देवसर	29.418 हे.
7	233/भू-अर्जन/2018, सिंगरौली, दिनांक 30-6-2018	भलुगढ	देवसर	14.704 हे.
8	235/भू-अर्जन/2018, सिंगरौली, दिनांक 30-6-2018	भरूहा	देवसर	0.213 हे.
9	237/भू-अर्जन/2018, सिंगरौली, दिनांक 30-6-2018	छीबा	देवसर	7.864 हे.
10	239/भू-अर्जन/2018, सिंगरौली, दिनांक 30-6-2018	ढोंगा	देवसर	14.778 हे.
11	241/भू-अर्जन/2018, सिंगरौली, दिनांक 30-6-2018	गिधेर	देवसर	40.973 हे.
12	243/भू-अर्जन/2018, सिंगरौली, दिनांक 30-6-2018	गोंदवाली	देवसर	1.189 हे.
13	245/भू-अर्जन/2018, सिंगरौली, दिनांक 30-6-2018	हरा चन्देल	देवसर	20.682 हे.
14	247/भू-अर्जन/2018, सिंगरौली, दिनांक 30-6-2018	झरिया	देवसर	3.798 हे.
15	249/भू-अर्जन/2018, सिंगरौली, दिनांक 30-6-2018	कटौली	देवसर	16.768 हे.
16	251/भू-अर्जन/2018, सिंगरौली, दिनांक 30-6-2018	खडौरा	देवसर	1.496 हे.
17	253/भू-अर्जन/2018, सिंगरौली, दिनांक 30-6-2018	खोभा	देवसर	10.521 हे.
18	255/भू-अर्जन/2018, सिंगरौली, दिनांक 30-6-2018	कुर्सा	देवसर	4.943 हे.
19	263/भू-अर्जन/2018, सिंगरौली, दिनांक 30-6-2018	बरिगवां	देवसर	14.185 हे.
20	257/भू-अर्जन/2018, सिंगरौली, दिनांक 30-6-2018	पूरबा जागीर	देवसर	28.059 हे.
21	259/भू-अर्जन/2018, सिंगरौली, दिनांक 30-6-2018	सहुआर	देवसर	14.843 हे.
22	261/भू-अर्जन/2018, सिंगरौली, दिनांक 30-6-2018	सीलफ	देवसर	18.078 हे.

2. सिंगरौली, दिनांक 30 जून 2018 उक्त अधिसूचनाओं के प्रकाशन उपरांत विधान सभा निर्वाचन, 2018 एवं लोक सभा निर्वाचन, 2019 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील रहने से भू-अर्जन की अग्रिम कार्यवाही समय-सीमा में पूर्ण नहीं हो सकी. धारा 19 के तहत घोषणा प्रकाशन की तिथि से भू-अर्जन कार्यवाही पूर्ण करने हेतु नियत समय-सीमा दिनांक 20 जुलाई 2019 से व्यपगत हो जायेगी. चूंकि सीधी-सिंगरौली रेल लाईन परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से संबद्ध है तथा यह कार्य रेल लाईन निर्माण का भाग है, यह अर्जन की कार्यवाही रैखिक दिशा में व लोक प्रयोजन के लिये हो रही है जिस कारण भू-अर्जन की अग्रिम कार्यवाही किया जाना आवश्यक व न्यायोचित प्रतीत होता है.

3. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए धारा 19 के उपरान्त कार्यवाही की अवधि आगामी 12 माह के लिये बढ़ाये जाने की अनुमति दी जाती है.

के. व्ही. एस. चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर एवं समुचित सरकार, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक भू-अर्जन-2019-नस्ती क्रमांक 10-2019-एलए

खण्डवा, दिनांक 12 जुलाई 2019

## [आपसी सहमति से भूमि कय नीति]

राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है। म.प्र. शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक 12.2.2014 /सात/ए, दिनांक 12.11.2014(म.प्र. राजपत्र दिनांक 14.11.2014)अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू-धारकों की अ"आपसी सहमति से भूमि कय नीति" जारी की गई है।

इस नीति के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम भारत सरकार रेल मंत्रालय की इंदौर -अकोला रेलवेलाइन अमान परिवर्तन कार्य में प्रयोग हेतु विद्युत पारेषण केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु प्रभावित ग्राम सुलगांव की निजी भूमि की आवश्यकता है। इसका निवरण निम्नानुसार है तथा इकसे भू-स्वामी/भू स्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अंतर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र-ख में सहमति प्रस्तुत कर दी है। आपसी सहमति से भूमि कय नीति की कंडिका-11(1)के अंतर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जा रही है कि नीति के अंतर्गत भूमि विभाग के पक्ष में कय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अद्योहस्ताक्षकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

—: आपसी सहमति से कय की जाने वाली भूमि/मकान का विवरण :-

जिला-खंडवा, तहसील पुनासा , प.ह.न.-10, ग्राम सुलगांव, रा.नि. मंडल मांधाता

प्रभावित रकबा :- 0.560हेक्टेयर

कं.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम	ख.न.	कुल रकबा	प्रभावित रकबा	सिंचित रकबा हे. में	असिंचित रकबा हे. में	अन्य संपत्ति
1	2	3	4	5	6		
1	मकबूलबाई बेवा यशवंतसिंह, अनिताबाई, मंजुबाई, धनकुंवरबाई पुत्री यशवंतसिंग, नारायणसिंह, दिनेशसिंग पिता यशवंतसिंह पिता जालमसिंह निवासी ग्राम सुलगांव	793/1	1.68हे.	0.560है.	0.560है.	0	0

तनवी सुंदरियाल, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर एवं समुचित सरकार, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक 1429-भू-अर्जन-2019-प्रकरण क्र. 08-अ-82-2019-20

इन्दौर, दिनांक 18 जुलाई 2019

**(भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन 2013) की धारा-11(1))**

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन 2013) की धारा-11(1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

प्रस्तावित रतलाम-खण्डवा अमा परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) के कार्य की प्रकृति लोक हित में अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है। अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गई है। जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है, इस कारण से धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है।

// अनुसूची //

भूमि का वर्णन			लगभग क्षेत्रफल	धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम			
1	2	3	4	5	6
इन्दौर	डॉ अम्बेडकर नगर महू	चौरडिया	3.726 हे०	उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इन्दौर	रतलाम-खण्डवा अमा परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) के प्रयोजन हेतु
		झिकरियाखेडी	2.955 हे०		
		उमठ	9.283 हे०		
		रसकुडिया	1.276 हे०		
		रतवी	2.696 हे०		
		बैकां	6.921 हे०		
		कुलथाना	4.233 हे०		
		गवालू	7.092 हे०		

नोट :-

- 1 उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि सम्भावित है।
- 2 उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी डॉ अम्बेडकर नगर महू जिला इन्दौर/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है।
- 3 प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।
- 4 प्रस्तावित प्रयोजन लोक प्रयोजन होने से भू-अर्जन के लिए सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट प्राप्त है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.



कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक 3451-भू-अर्जन-वर्ष 2019

बैहर, दिनांक 18 जुलाई 2019

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 की उप धारा (1) एवं (6) में उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

### अनुसूची

भूमि का वर्णन

क. जिला बालाघाट

ग. ग्राम- लगम/गुदमा

ख. तहसील परसवाड़ा

घ. क्षेत्रफल 8.639 हे०

ग्राम का नाम	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं०	अधिग्रहित रकबा हे०में
1	2	3	4
लगमा	ओसराम पिता पंचमसिंह परधान	97/1/1	2.002
	गनीराम पिता रामलाला गोंड	97/1/2	0.405
	सुधा पति गोविंद गोंड एवं अन्य	97/2	2.012
	राजेन्द्र पिता ओसराम परधान	97/3	0.809
	अशोक पिता बलीराम परधान	97/4	0.405
	रूपलता पति गोविंद एवं अन्य	97/5	2.016
	कृष्णकुमार पिता ओशराम परधान	97/6	0.405
गुदमा	अश्विन पिता अशोक परधान	157/1/1	0.210
	सहित पिता अशोक परधान	157/1/2	0.210
	शुभम पिता अशोक परधान	157/1/3	0.219
	<b>कुल रकबा</b>		<b>8.639</b>

2- अर्जित की जाने वाली वर्णित प्रस्तावित भूमि के बारे में हिताधिकारी कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [dmbalaghat@nic.in](mailto:dmbalaghat@nic.in) एवं म०प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देख सकता है।

3- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा०)/भू-अर्जन अधिकारी बैहर के न्यायालय तथा खान प्रबंधक उक्त खान के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक 36-भू-अर्जन-2019

भोपाल, दिनांक 24 जुलाई 2019

अंतर्गत धारा-19 भू-अर्जन पुर्नवास एवं पुनर्व्यस्थापना में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिनियम 2013 (क्र.3 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इसबात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में टेम सिचाई परियोजना तहसील- बैरसिया जिला-भोपाल के ग्राम - चन्द्रपुरा के लिए पाल, डूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक वार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवास एवं पुनर्व्यस्थापना उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र.3 सन् 2013) धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित सूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

### अनुसूची

टेम सिचाई परियोजना के निर्माण हेतु ग्राम- चन्द्रपुरा

तहसील - बैरसिया

जिला - भोपाल

स.क्र.	नाम कृषक/पिता का नाम/जाति/ग्राम	कक्ष क्र./प्लॉट कोड क्र.	भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)	कुल प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
1	धूरसिंह पुत्र प्रभूलाल	0/172803647001	0.960	0.960
2	जगन्नाथ पुत्र हरलाल	2/172800908001	1.323	1.323
3	रामकिशन पुत्र हरिसिंह	2/172803648001	0.518	0.518
	महायोग :		2.801	2.801

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) बैरसिया, जिला - भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 35-भू-अर्जन-2019

अंतर्गत धारा-19 भू-अर्जन पुर्नवास एवं पुनर्व्यस्थापना में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिनियम 2013 (क्र.3 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इसबात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में टेम सिचाई परियोजना तहसील- बैरसिया जिला-भोपाल के ग्राम - खेड़ली के लिए पाल, डूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक वार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवास एवं पुनर्व्यस्थापना उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र.3 सन् 2013) धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित सूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

### अनुसूची

टेम सिचाई परियोजना के निर्माण हेतु ग्राम- खेड़ली

तहसील - बैरसिया

जिला - भोपाल

स.क्र.	नाम कृषक/पिता का नाम/जाति/ग्राम	कक्ष क्र./प्लॉट कोड क्र.	भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)	कुल प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
1	गोरधन पुत्र मुलाप सिंह	02/172803523002	0.708	0.708
2	मोकम सिंह पुत्र दयाराम	02/172803547001	2.359	2.359
3	चैन सिंह पुत्र मानसिंह	02/172803548001	0.246	0.246
4	सूरत सिंह पुत्र मुलाप सिंह	02/172803520002	0.551	0.130
5	भगवान सिंह पुत्र राम सिंह	02/172803554001	3.348	3.348
6	करन सिंह पुत्र मंशाराम	02/172803553001	1.519	1.519
7	भारत सिंह पुत्र बापूलाल	02/172803517001	1.070	1.070
8	भंवरलाल पुत्र मानसिंह	02/172803549001	0.426	0.426
9	मानसिंह पुत्र ओंकार सिंह	02/172803550001	0.266	0.266
10	मोहर सिंह पुत्र गेंदाजी	02/172803559001	1.300	1.300
11	हमीर सिंह पुत्र मंशाराम	02/172803551001	1.013	1.013
12	सौदान सिंह पुत्र बापूलाल	02/172803516001	0.904	0.904
13	दीवान सिंह पुत्र बापूलाल	02/172803515001	0.821	0.821
14	देवीराम पुत्र मचल सिंह	02/172803555001	1.038	1.038
15	नारायण सिंह पुत्र मंशाराम	02/172803552001	1.493	1.493
16	नन्लाल/मचल सिंह	02/172803556001	1.270	1.270
17	सिंगार बाई पत्नि प्रताप सिंह	02/172803557002	0.470	0.100
18	मिश्रीलाल पुत्र धन्नालाल	02/172803540001	0.895	0.895
19	मानसिंह पुत्र धन्नालाल	02/172803539001	1.084	0.300

स.क्र.	नाम कृषक/पिता का नाम/जाति/ग्राम	कक्ष क्र./प्लॉट कोड क्र.	भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)	कुल प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
20	राम प्रसाद पुत्र धन्नालाल	02/172803541001	0.781	0.230
21	मलखान सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह	02/172803575001	0.315	0.225
22	धनसिंह पुत्र कमोद सिंह	02/172803571001	1.073	1.073
23	कमरलाल पुत्र नारायण सिंह	02/172803581001	0.270	0.270
24	शिवराज पुत्र कमरलाल	02/172803569001	0.509	0.509
25	सर्जन सिंह पुत्र नारायण सिंह	02/172803580001	1.277	0.780
26	सब्बोबाई पत्नि बारेलाल	0/172803697002	0.908	0.908
27	सब्बोबाई पत्नि बारेलाल	0/172803697001	0.365	0.365
28	नारायण सिंह पुत्र हरलाल	0/172803708001	0.259	0.259
29	तकत सिंह पुत्र दोलत सिंह	0/172803707001	0.238	0.238
30	लालाराम पुत्र हजारीलाल	0/172803706001	0.398	0.398
31	पार्वती पत्नि नारायण सिंह	0/172803704001	1.498	1.498
32	मलखान सिंह पुत्र भगवान सिंह	0/172803703001	0.974	0.974
33	प्यारे सिंह पुत्र घूरेलाल	0/172803701001	0.554	0.554
34	गोलो बाई पत्नि पर्वत सिंह	0/172803699001	2.458	2.458
35	राम प्रसाद पुत्र लालचंद	0/172803694001	0.776	0.776
36	तुलाराम पुत्र रामरतन	0/172804092001	0.936	0.936
37	राम सिंह पुत्र हरबगस	0/172803758001	1.259	1.259
38	उधम सिंह पुत्र हरबगस	0/172803759001	1.275	1.275
39	बालकिशन पुत्र हरलाल	0/172803760001	1.509	1.509
40	हीरालाल पुत्र मांगीलाल	0/172804095001	0.678	0.678
41	भारत सिंह पुत्र गंगाराम	0/172804097001	1.018	0.340
42	प्रथी सिंह पुत्र हरीसिंह	0/172803761001	0.474	0.474
43	विजयराम पुत्र मांगीलाल	0/172804098001	0.284	0.284
44	गणेशराम पुत्र बालकिशन	0/172803763001	1.746	1.746
45	भारत सिंह पुत्र बालकिशन	0/172803764001	1.509	1.509
46	रामदयाल सिंह पुत्र ग्यारसी राम	0/172804099001	1.751	1.751
47	हरीसिंह पुत्र गोरेलाल	0/172803766001	1.555	1.555

स.क्र.	नाम कृषक/पिता का नाम/जाति/ग्राम	कक्ष क्र./प्लॉट कोड क्र.	भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)	कुल प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
48	डालचंद पुत्र मांगीलाल	0/172804100001	1.915	1.915
49	हरचंद पुत्र लालचंद	0/172803702001	0.357	0.357
50	हजारीलाल पुत्र रामरतन	0/172803705001	0.130	0.130
51	मोहर सिंह पुत्र राम प्रसाद	0/172803712001	1.528	1.140
52	रमकू बाई पत्नि गोरेलाल	0/172803768001	1.282	1.282
53	जगदीश पुत्र कैलाश	0/172803726001	1.806	1.806
54	रिन्जय सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह	0/172804088001	0.972	0.710
55	कोमल बाई पत्नि मुन्शीलाल	0/172803729001	0.680	0.250
56	जोधाराम पुत्र प्रताप सिंह	0/172803749001	1.593	0.760
57	रामलाल पुत्र हरिसिंह	0/172803664001	0.678	0.678
58	माखन सिंह पुत्र रामपाल	0/172803670001	1.092	1.092
59	गोपीलाल पुत्र मानसिंह	0/172803676001	0.573	0.573
60	मोरसिंह पुत्र बंशीलाल	0/172803686001	1.518	0.980
61	लालसिंह पुत्र मुन्शीलाल	0/172803691001	1.353	0.300
<b>महायोग :</b>			<b>62.905</b>	<b>56.010</b>

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) बैरसिया, जिला - भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
तरुण कुमार पिथोड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक 5039-भू-अर्जन-2019

छिन्दवाड़ा, दिनांक 22 जुलाई 2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22 ए/101/2016/एम0पी0एस0/31/1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

### अनुसूची

#### 1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम- हिवरखेडी प0ह0न-01 ब.न.-316 रा.नि.म.- चौरई	रकबा- 02.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा	पंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब प्रभावित ग्राम के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट [www.chhindwara.nic.in](http://www.chhindwara.nic.in) एवं M0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

- 3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (M0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संभाग क्रमांक-01 चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन मिट्टी बांध उपसंभाग क्रमांक-02 सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्रमांक 5040-भू-अर्जन-2019

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2 मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ -22 ए/101/2016/एम0पी0एस0/31/1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है,इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

#### अनुसूची

#### 1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा	ग्राम- झंझरिया उर्फ खुटिया प0ह0न-37 ब.न.-207 रा.नि.मं.-छिंदवाड़ा	रकबा- 0.300 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा	पंच व्यपवर्तन पृष्ठ परियोजना के अन्तर्गत दांय तट मुख्य नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.chhindwara.nic.in](http://www.chhindwara.nic.in) एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

5 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन पंच व्यपवर्तन परियोजना दांय तट जल संभाग क्रमांक-01 चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पंच व्यपवर्तन परियोजना दांय तट नहर उपसंभाग क्रमांक-01 चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

7 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिंदवाड़ा के समक्ष

#### क्रमांक 5041-भू-अर्जन-2019

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2 मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22 ए/101/2016/एम0पी0एस0/31/1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3 अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।



4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

**अनुसूची**

**1. भूमि का वर्णन:-**

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम- झिलमिली प0ह0न-21/39 ब.न.-110 रा.नि.म.-चौरई	रकबा- 0.340 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा	पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट मुख्य नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.chhindwara.nic.in](http://www.chhindwara.nic.in) एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संभाग क्रमांक-01 चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-01 चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र क्र.-ए-1267-68

राजगढ़, दिनांक 4 जुलाई 2019

(अंतर्गत धारा - 19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम - 2013 क. 30 सन 2013) चूकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ कुण्डलिया बॉध निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

**अनुसूची (1)**

ग्राम - सेमला		तहसील - जीरापुर	जिला राजगढ़
क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैक्टर	
		कुल रकबा	
1	निजी भूमि 1. कुण्डलिया बॉध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	41.002	25.632
	<b>योग</b>	<b>41.002</b>	<b>25.632</b>

**अनुसूची (2)**

(1) कुण्डलिया बॉध परियोजना में प्रभावित होने से

क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	भूमि का अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
1	धीसालाल आ. प्रभूलाल जाति भोपा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	200/1/1/3	2.000	1.000
	<b>योग</b>		<b>2.000</b>	<b>1.000</b>
2	दरियावबाई पति प्रेमसिंह जाति सोधिया पता नि. बस स्ट्रेड के पीछे वार्ड क. जीरापुर भूमि स्वामी	200/1/1/25	2.000	1.000
	<b>योग</b>		<b>2.000</b>	<b>1.000</b>
3	कृष्णगोपाल पिता जगन्नाथ जाति ब्रह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	200/1/1/24	2.000	1.000
	<b>योग</b>		<b>2.000</b>	<b>1.000</b>
4	कन्हैयालाल आ. श्रीलाल नर्मदाबाई बेबा श्रीलाल जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	200/1/1/17	2.023	1.013
	<b>योग</b>		<b>2.023</b>	<b>1.013</b>
5	शंकरलाल आ. गुलाब जाति लोडा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	200/1/1/20	1.863	1.663
	<b>योग</b>		<b>1.863</b>	<b>1.663</b>
6	गंगाधर पिता जगन्नाथ जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	200/1/1/23	2.000	0.223
	<b>योग</b>		<b>2.000</b>	<b>0.223</b>

क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	भूमि का अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
7	रामचरण पिता उँकार जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	200/1/1/22/0006	0.289	0.176
		200/1/1/59/001	0.223	0.223
	योग		0.512	0.399
8.	विजयसिंह पिता उँकार जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	200/1/1/59/002	0.223	0.223
	योग		0.223	0.223
9	मदन आ. रामबक्स जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	200/1/1/70	0.231	0.231
	योग		0.231	0.231
10	प्रहलाद आ. रामबगस जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	200/1/1/71	0.231	0.231
	योग		0.231	0.231
11	कन्हैयालाल पुत्र रामबगस जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	200/1/1/72	0.232	0.232
	योग		0.232	0.232
12	प्रभूलाल पिता रामबगस जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	200/1/1/73	0.231	0.231
	योग		0.231	0.231
13	रामनारायण आ. गुलाब जाति लोडा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	200/1/1/16	2.000	0.990
	योग		2.000	0.990
14	राधेश्याम पिता हरिचरण जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	200/1/1/59/0003	0.223	0.223
	योग		0.223	0.223
15	फूलसिंह लक्ष्मीनारायण पिता हजारीलाल जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	200/1/1/59/0004	0.223	0.223
	योग		0.223	0.223
16	कनिराम पिता जगन्नाथ जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	200/1/1/59/0005	0.224	0.224
	योग		0.224	0.224
17	शिवनारायण हरिसिंह पिता बापूलाल मांगूबाई बेबा बापूलाल जाति दांगी पता निवासी ग्राम राजगढ	200/1/1/59/0006	0.223	0.223
	योग		0.223	0.223
18	गोरीलाल आ. जगन्नाथ जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	200/1/1/59/007	0.224	0.224
	योग		0.224	0.224
19	विजयसिंह आ. रामगोपाल जाति दांगी पता निवासी हरीगढ भूमि स्वामी	200/1/1/7	2.000	1.500
		200/1/1/8	2.000	1.500
	योग		4.000	3.000
20	बदामबाई बेबा दुर्गालाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	200/1/5/2	1.000	1.000
	योग		1.000	1.000

क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	भूमि का अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
21	रमेश पिता छीता जाति लोडा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	200/1/1/19/1	0.500	0.375
	योग		0.500	0.375
22	भूलीबाई बैवा मोहनलाल देवराज आ. मोहनलाल ना. बा.सर. माता भूलीबाई जाति लोडा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	200/1/1/19/2	0.500	0.375
	योग		0.500	0.375
23	रामप्रसाद पिता छीता जाति लोडा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	200/1/1/19/3	0.500	0.375
	योग		0.500	0.375
24	भंवरीबाई बैवा छीता जाति लोडा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	200/1/1/19/4	0.500	0.375
	योग		0.500	0.375
25	शिवसिंह आ. नाथूलाल जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	200/1/1/39	0.679	0.679
	योग		0.679	0.679
26	धीसालाल आ. नाथू जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	200/1/1/37	0.679	0.679
	योग		0.679	0.679
27	रामगोपाल आ. बाबरु जाति दांगी भूमि स्वामी	200/1/1/58	0.466	0.466
	योग		0.466	0.466
28	गोरधन आ. बाबरु जाति दांगी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	200/1/1/57	0.466	0.466
	योग		0.466	0.466
29	गिरधारी आ. बाबरु जाति दांगी भूमि स्वामी	200/1/1/56	0.465	0.465
	योग		0.465	0.465
30	देवनारायण जगदीश पिता प्रभूलाल जाति दांगी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	200/1/1/55	0.465	0.465
	योग		0.465	0.465
31	हीरालाल आ. भवरलाल जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	200/1/28/1	1.012	1.012
	योग		1.012	1.012
32	रामनारायण पिता भवरलाल जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	200/1/28/2	1.011	1.011
	योग		1.011	1.011
33	गोपाल पिता उँकार जाति जाट पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	200/1/1/43	0.466	0.466
	योग		0.466	0.466
34	भागीरथ पिता भवाना जाति भोपा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	200/1/1/62	1.721	0.200
	योग		1.721	0.200
35	रमेश भावसिंह पप्पूलाल मेवाबाई पिता कालू मु. सुन्दरबाई बैवा कालू पता निवासी भूमि स्वामी	200/1/1/63	1.720	0.200
	योग		1.720	0.200

	कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	भूमि का अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
36	प्रभूलाल आ. भवाना जाति भोपा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	200/1/1/61	1.720	0.200
	योग		1.720	0.200
37	मुन्नीबाई बेवा देवीसिंह महेन्द्रसिंह नंदकिशोर राधिका पिता देवीसिंह जाति जाट पता सेमला नरसिंहगढ़ राजगढ़ म0प्र0	200/1/1/13	2.000	2.000
	योग		2.000	2.000
38	सोनाथसिंह आ. रोडीलाल प्रेमबाई बेवा रोडीलाल जाति लोडा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	200/7/2	0.569	0.300
	योग		0.569	0.300
39	गोरधन पिता कालू जाति लोडा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	200/7/3	0.179	0.179
	योग		0.179	0.179
40	कंकूबाई पति प्रभूलाल जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	200/7/4	0.557	0.250
	योग		0.557	0.250
41	भंवरलाल पिता रामबगस जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	200/1/1/30	0.231	0.231
	योग		0.231	0.231
42	रामसिंह पिता रामबगस जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	200/1/1/69	0.231	0.231
	योग		0.231	0.231
43	रामप्रताप गौरधन आ. भंवरलाल पु.भवंरीबाई बेवा भंवरलाल कंवरलाल आ. रोडीलाल जाति दोगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	200/1/1/21/0002	1.011	0.250
	योग		1.011	0.250
44	रामप्रसाद शिवचरण आ. घीसालाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	200/1/1/21/0001	1.012	0.150
	योग		1.012	0.150
45	रामलाल पिता नाथू जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	200/1/1/38	0.679	0.679
	योग		0.679	0.679
कुल योग			41.002	25.632

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू - अर्जन अधिकारी खिलचीपुर कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र क्र.-ए-1315-16

राजगढ़, दिनांक 5 जुलाई 2019

कमांक /भू-अर्जन/2019 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण कमांक ...../अ-82/18-19..... चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में बालदिया तालाब के डूब क्षेत्र एवं वेस्टवियर में प्रभावित भूमि तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम बालदिया, एवं रावतपुरा के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि बालदिया के तालाब का निर्माण कार्य आरम्भ हो चुका है एवं इस हेतु भूमि का अर्जन किया जा रहा है और इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

### —: अनुसूची ( 1 ) :—

बालदिया तालाब के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि

तहसील :- राजगढ़

स.क.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर		
		कुल सर्वे नं.	कुल रकबा	योग
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )
1	बालदिया	30	10.563	5.812
2	रावतपुरा	22	20.450	8.224
कुलयोग :-		52	31.013	14.036

### —: अनुसूची ( 2 ) :—

बालदिया तालाब के डूब क्षेत्र एवं वेस्टवियर में प्रभावित भूमि :- ग्राम बालदिया

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टे.)	प्रभावित रकबा (हेक्टे.)
				भूमि (हेक्टे.)
1	2	3	4	5
1	प्रेमसिंह पिता देवीराम, कमलाबाई पति प्रेमसिंह जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	132	0.442	0.442
योग		1	0.442	0.442
2	संतोष पिता प्रभूलाल, सुन्दरबाई पति संतोष जाति चमार नि. ग्राम भूमि स्वामी	134	0.976	0.976
योग		1	0.976	0.976
3	रतनलाल, पिता मांगीलाल, द्रोपदबाई पति रतनलाल जाति चमार नि. ग्राम भूमि स्वामी	136/1	0.600	0.405
योग		1	0.600	0.405
4	गोकुलप्रसाद पिता प्यारजी, छम्बाई पत्नि गोकुलप्रसाद जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	136/6	1.000	0.560
योग		1	1.000	0.560

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टे.)	प्रभावित रकबा (हेक्टे.)
				भूमि (हेक्टे.)
1	2	3	4	5
5	प्यारजी पिता गोदड़ जाति लोड़ा नि. ग्राम भूमि स्वामी	138/4/1	0.532	0.248
	योग	1	0.532	0.248
6	भोनजी पिता गोदड़ जाति लोड़ा नि. ग्राम भूमि स्वामी	138/4/2	0.532	0.248
	योग	1	0.532	0.248
7	अमरलाल, नर्बदीबाई, संमतबाई, केसरबाई, भेंवरबाई पिता रामलाल जाति लोड़ा नि. ग्राम भूमि स्वामी	138/4/3	0.532	0.248
	योग	1	0.532	0.248
8	धीसीबाइ बेवा लक्ष्मण, सांवरलाल, ग्यारसीराम पिता लक्ष्मण जाति लोड़ा नि. ग्राम भूमि स्वामी	138/4/4	0.532	0.248
	योग	1	0.532	0.248
9	मदनलाल पिता गोदड़ जाति लोड़ा नि. ग्राम भूमि स्वामी	138/4/5	0.532	0.246
	योग	1	0.532	0.246
10	रमकूबाई पति अमरलाल जाति लोड़ा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	139 140 141 142	0.190 0.278 0.228 0.164	0.190 0.139 0.171 0.082
	योग	4	0.860	0.582
11	गोरीलाल पिता भोना, शांतिबाई पुत्री भोना जाति लोड़ा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	143 144 145 146	0.240 0.569 0.531 0.139	0.240 0.284 0.189 0.139
	योग	4	1.479	0.852
12	गिरधारी पिता कालू जाति लोड़ा नि. ग्राम भूमि स्वामी	121/3	0.258	0.081
	योग	1	0.258	0.081
13	मांगीलाल, नाराण पुत्र हरलाल, रोडीबाई पुत्री हरलाल मांगी, कस्तुरी पुत्री देवीराम जाति लोड़ा नि. ग्राम भूमि स्वामी	124	0.304	0.080
	योग	1	0.304	0.080
14	सुन्दरबाई बेवा पाचू जाति चमार नि. ग्राम भूमि स्वामी	125	1.292	0.080
	योग	1	1.292	0.080
15	अमरलाल पिता देवा जाति लोड़ा नि. ग्राम भूमि स्वामी	148/1	0.164	0.048
	योग	1	0.164	0.048

क्र.सं.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टे.)	प्रभावित रकबा (हेक्टे.)
				भूमि (हेक्टे.)
1	2	3	4	5
16	धापूबाई बेवा अमरसिंह प्रेमसिंह धनसिंह ग्यारसीबाई ललताबाई पिता अमरसिंह जाति लोडा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	149/1	0.082	0.082
	योग	1	0.082	0.082
17	कन्हैयालाल, अमरीबाई पिता गंगाराम जाति लोडा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	149/2 153/2	0.082 0.041	0.082 0.041
	योग	2	0.123	0.123
18	ब्रजमोहन पिता गंगाराम जाति लोडा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	149/3 151 153/3	0.082 0.038 0.041	0.082 0.038 0.041
	योग	3	0.161	0.161
19	धीसालाल पिता गंगाराम जाति लोडा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	149/4 150 153/1	0.083 0.038 0.041	0.023 0.038 0.041
	योग	3	0.162	0.102
कुलयोग :-		30	10.563	5.812

बालदिया तालाब के डूब क्षेत्र, वेस्टवियर व सड़क में प्रभावित भूमि :- ग्राम रावतपुरा

1	ईश्वरसिंह पिता अमरसिंह, हि. 38 पै. प्रेमकुंवर बेवा उमरावसिंह, रघुवीरसिंह उदलसिंह सुरेन्द्रसिंह, इन्द्रसिंह श्यामसुन्दरसिंह, कृष्ण कुंवर पिता उमरावसिंह हि. 1 पै. चैनसिंह हि. 1 पै. पिता पर्वतसिंह, मांगीलाल कमलसिंह, रोड कुंवर, कलाकुंवरबाई पिता हरिसिंह. हि 20 पैसा जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	94	0.531	0.253
	योग	1	0.531	0.253
2	रेशम कुंवर बेवा रायसिंह कुमेरसिंह, अर्जुनसिंह, मांगीलाल पिता रायसिंह कैलाश कुंवर, होकम कुंवर, धापू कुंवर, सुगन कुंवर पिता रायसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	96/1	0.632	0.632
	योग	1	0.632	0.632
3	प्रभूलाल पिता गब्बा जाति लोडा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	110/1	0.139	0.139
	योग	1	0.139	0.139
4	कंवरलाल पिता गब्बा जाति लोडा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	110/2	0.139	0.139
	योग	1	0.139	0.139
5	रुगनाथ पिता गब्बा जाति लोडा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	110/3	0.139	0.139
	योग	1	0.139	0.139



स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टे.)	प्रभावित रकबा (हेक्टे.)
				भूमि (हेक्टे.)
1	2	3	4	5
6	कालूसिंह पिता तेजसिंह प्रेमकुंवर पिता रामनाथसिंह, भगवानसिंह अन्तरसिंह गोपालसिंह, चतरबानसिंह पिता कालूसिंह मु. तेजकुंवर बेवा कालूसिंह, सांवतसिंह, तेजसिंह पिता चांदसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	101	1.202	1.202
		102	0.013	0.013
		<b>योग</b>	<b>2</b>	<b>1.215</b>
7	गोविन्दसिंह पिता मांगीलाल जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	103/1/3	1.417	1.417
		<b>योग</b>	<b>1</b>	<b>1.417</b>
8	केशरसिंह पिता शंकरलाल, गीताबाई पति केसरसिंह जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	103/1/4/1	2.000	0.750
		<b>योग</b>	<b>1</b>	<b>2.000</b>
9	सुगनसिंह पिता अमानसिंह, भंवरीबाई बेवा अमानसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	105	0.013	0.013
		104/1	0.455	0.455
		33/1	0.923	0.155
<b>योग</b>	<b>3</b>	<b>1.391</b>	<b>0.623</b>	
10	कालूसिंह पिता तेजसिंह, भगवानसिंह, अन्तरसिंह, गोपालसिंह, चतरबानसिंह पिता कालूसिंह, मु. तेजकुंवर बेवा कालूसिंह, प्रेमसिंह पिता बहादुरसिंह, भंवरीबाई पिता अमानसिंह, ईश्वरसिंह पिता अमरसिंह, पेपकुंवर, छोटीकुंवर पिता अमरसिंह, मु. गोविंदकुंवर, बेवा अमरसिंह, वीरेन्द्रसिंह, अजीतसिंह, पिता दुलेसिंह, विष्णुकुंवर, पिता दुलेसिंह, रघुनाथसिंह, केशरसिंह, पिता उकारसिंह, भंवरीबाई, चन्द्रकुंवर बाई पिता उंकारसिंह केशरसिंह, प्रेमसिंह, हरिसिंह, गणपतसिंह पिता सुगनसिंह, रामकुंवर पिता सुगनसिंह सूरज कुंवर बेवा सुगनसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	108	7.689	1.506
		<b>योग</b>	<b>1</b>	<b>7.689</b>
11	ईश्वरसिंह पिता बहादुरसिंह, जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	104/2/1	0.228	0.228
		33/2/1	0.461	0.120
<b>योग</b>	<b>2</b>	<b>0.689</b>	<b>0.348</b>	
12	मोहनसिंह पिता बहादुरसिंह, जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	104/2/2	0.228	0.228
		33/2/2	0.231	0.120
<b>योग</b>	<b>2.00</b>	<b>0.459</b>	<b>0.348</b>	
13	मु. गोविन्द कुंवर बेवा अमरसिंह ईश्वरसिंह, प्रेमकुंवर, राजकुंवर छोटीबाई पिता अमरसिंह विरेन्द्रसिंह अजीतसिंह गजेन्द्रसिंह पिता दुलेसिंह विष्णु कुंवर पिता दुलेसिंह प्रभूनाथसिंह केसरसिंह पिता उंकारसिंह भंवरीबाई, रतनकुंवरबाई पिता उंकारसिंह सुगनकुंवर बेवा उंकारसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	34	0.734	0.125
		35	1.821	0.180
<b>योग</b>	<b>2</b>	<b>2.555</b>	<b>0.305</b>	

1	2	3	4	प्रभावित रकबा (हेक्टे.)
				कुल भूमि
14	भँवरलाल, अमानसिंह, रायसिंह, जगन्नाथसिंह, पिता कानसिंह, भगवतसिंह, लक्ष्मणसिंह, इन्दरसिंह, जसवंतसिंह, पिता रतनसिंह, धापूकुर्वरबाई, विधवा रतनसिंह, भँवरीबाई पुत्री किशनसिंह, राजकर्वरबाई वेवा नारायणसिंह, भँवरबाई, भवरिया ई पुत्री नारायणसिंह, गोर्वधनसिंह, भगवानसिंह, जवाहरसिंह, कमलसिंह, खुमानसिंह, शकुंतला, पुत्री खुमानसिंह, देवीसिंह, पिता गोरधनसिंह, रामनाथसिंह, कालूसिंह पिता रूपसिंह, उमरावसिंह, पिता पर्वतसिंह, जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	31	0.443	0.105
	योग	1	0.443	0.105
15	प्रेमसिंह शैतानबाई पिता नेकसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	29/3/1	0.262	0.125
	योग	1	0.262	0.125
16	भँवरसिंह पिता नेकसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	29/3/2	0.750	0.180
	योग	1	0.750	0.180
कुलयोग :-		22	20.450	8.224

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र क्र.-ए-1275

राजगढ़, दिनांक 4 जुलाई 2019

अंतर्गत धारा - 19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) चूकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ की ग्राम पथरिया के लिये डूब प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

**अनुसूची (1)**

ग्राम - पथरिया		तहसील - जीरापुर		जिला - राजगढ़	
स. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टर			
		कुल रकबा	अर्जित रकबा		
1	निजी भूमि 1. कुण्डलिया बांध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	25.447	15.901		

**अनुसूची (2)**

1. कुण्डलिया बांध परियोजना में प्रभावित होने से

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा नं.	भूमि का कुल रकबा हे.	पुर्व मे भूमि का अर्जित रकबा हे.	पूरक प्रकरण मे भूमि का अर्जित रकबा हे.	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5	6	7
1	दुलेसिंह आ. बापूसिंह जाति साँ. रा. पता निवासी ग्राम बांसखेडी भूमि स्वामी	1/6	4.047	0.000	0.650	0.650
	योग:-		4.047	0.000	0.650	0.650
2	भेरू आ. देवा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1/7/1	2.125	0.000	0.105	0.105
	योग:-		2.125	0.000	0.105	0.105
3	प्रभू आ. देवा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1/7/2	1.668	0.000	0.105	0.105
	योग:-		1.668	0.000	0.105	0.105
4	गोकुलप्रसाद पिता अमरसिंह जाति बलाई पता निवासी लसुडलिया खेराज भूमि स्वामी	3/1/8/1	1.018	0.000	0.380	0.380
		34/1/4	0.505	0.000	0.105	0.105
	योग:-		1.523	0.000	0.485	0.485
5	रायसिंह पिता मोतीलाल बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8/1/4	2.000	0.000	2.000	2.000
		85/23	2.528	0.000	2.528	2.528
	योग:-		4.528	0.000	4.528	4.528
6	राजेन्द्रसिंह पिता हरिसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	29/5	0.009	0.000	0.009	0.009

स.कं.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा नं.	भूमि का कुल रकबा हे.	पुर्व मे भूमि का अर्जित रकबा हे.	पूरक प्रकरण मे भूमि का अर्जित रकबा हे.	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5	6	7
		30/5	0.010	0.000	0.010	0.010
	योग:-		0.019	0.000	0.019	0.019
7	कालुसिंह पिता सिद्धलाल जाति बैलदार( चौहान ) पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	85/16/4	1.264	0.000	1.264	1.264
	योग:-		1.264	0.000	1.264	1.264
8	सोनारसिंह पिता बिजेसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	54/2/2/2	0.075	0.000	0.075	0.075
	योग:-		0.075	0.000	0.075	0.075
9	भगवान सिंह पिता बिजेसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	54/2/2/1	0.346	0.000	0.346	0.346
	योग:-		0.346	0.000	0.346	0.346
10	रोड़ीबाई पति चंदर जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	110/2/1/4	0.390	0.000	0.390	0.390
		108/2/1	0.077	0.000	0.077	0.077
	योग:-		0.467	0.000	0.467	0.467
11	बालु पिता भंवरलाल जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	110/2/1/2	0.088	0.000	0.088	0.088
	योग:-		0.088	0.000	0.088	0.088
12	नारायण पिता भंवरलाल जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	110/2/1/1	0.088	0.000	0.088	0.088
	योग:-		0.088	0.000	0.088	0.088
13	पिरुसिंह पिता सिद्धलाल जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	108/2/2	0.826	0.000	0.826	0.826
	योग:-		0.826	0.000	0.826	0.826
14	पारीबाई बेवा मांग्या लीलाबाई अमरीबाई छिताबाई कालु राधेश्याम पिता मागीया कालु भगवान सुल्तान गीताबाई कालीबाई पिता कवरीया पारी बाई बेवा कवरीया रामा पिता जग्गा जालीया रतन कनीराम दर्यावबाई पिता धुला जाति चमार	32	0.228	0.000	0.228	0.228
	योग:-		0.228	0.000	0.228	0.228
15	भगवानसिंह सुजानसिंह कबुबाई पिता पुरा जी जाति गुर्जर नि. बासखेडी	85/14	2.528	0.000	1.000	1.000
	योग:-		2.528	0.000	1.000	1.000
16	राधेश्याम पिता शंकर जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8/1/2/1	0.100	0.000	0.100	0.100
	योग:-		0.100	0.000	0.100	0.100
17	मेहरवानसिंह पिता शंकर जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8/1/2/2	0.100	0.000	0.100	0.100
	योग:-		0.100	0.000	0.100	0.100

स.कं.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा नं.	भूमि का कुल रकबा हे.	पुर्व मे भूमि का अर्जित रकबा हे.	पूरक प्रकरण मे भूमि का अर्जित रकबा हे.	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5	6	7
18	मानसिंह पिता शंकर जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8/1/2/3	0.101	0.000	0.101	0.101
	योग:-		0.101	0.000	0.101	0.101
19	शंकर पिता धुला जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8/1/2/4	0.243	0.000	0.243	0.243
	योग:-		0.243	0.000	0.243	0.243
20	घीसालाल पिता अमरसिंह जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8/1/5/1	0.666	0.000	0.666	0.666
	योग:-		0.666	0.000	0.666	0.666
21	प्रहलाद पिता अमरसिंह जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8/1/5/2	0.666	0.000	0.666	0.666
	योग:-		0.666	0.000	0.666	0.666
22	सिध्दु पिता अमरसिंह जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8/1/5/3	0.668	0.000	0.668	0.668
	योग:-		0.668	0.000	0.668	0.668
23	मनोहर आ. नन्दा जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8/1/6	1.083	0.000	1.083	1.083
	योग:-		1.083	0.000	1.083	1.083
24	सुजानसिंह पिता भागीरथ जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8/1/7/1	1.000	0.000	1.000	1.000
	योग:-		1.000	0.000	1.000	1.000
25	ईश्वर पिता भागीरथ जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8/1/7/2	1.000	0.000	1.000	1.000
	योग:-		1.000	0.000	1.000	1.000
	कुल योग:-		25.447	0.000	15.901	15.901

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू - अर्जन अधिकारी खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है। -

प्रकरण क्रमांक 9-अ-82-2019-2020-1277-78

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम नाईहेड़ा के लिए डूब क्षेत्र में वर्णित आबादी के अन्तर्गत छूटे हुए मकान जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि आबादी की भूमि सर्वे न. 141 रकबा 1.795 हे. सर्वे न. 149/1 रकबा 0.253 हे. सर्वे न. 173/11 रकबा 2.000 हे.पर स्थित परिसम्पत्ति निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

—: अनुसूची :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित मकान :- ग्राम नाईहेड़ा

स.क्र.	आबादी का विवरण हे.में.		नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में		
	आबादी के सर्वे नं.	कुल रकबा					
1	2	3	4	5	6		
1	173/11 ✓	2.000	भंवरलाल पिता रोड़जी ✓	34/1 ✓	47.65 ✓		
2			अनिल पिता भंवरलाल ✓	34/2 ✓	47.55 ✓		
3	141	1.795	लखनसिंह पिता भागमल ✓	63 ✓	280.54 ✓		
4			जसवंतसिंह पिता सूरजसिंह ✓	100/1 ✓	78.42 ✓		
5			अरविंद पिता जसवंतसिंह ✓	100/2 ✓	94.74 ✓		
6			गोमतीबाई पति रामनाथसिंह ✓	105/1 ✓	296.34 ✓		
7			सुनीता पिता रामनाथ ✓	105/2 ✓	43.70 ✓		
8			देवराज पिता रामनाथसिंह ✓	105/3 ✓	27.38 ✓		
9			ज्योति पिता रामनाथ ✓	105/4 ✓	43.70 ✓		
10			146/1	0.253	बद्रीलाल पिता भागचंद ✓	106/1 ✓	20.10 ✓
11					शांतिलाल पिता पीरूलाल ✓	130 ✓	71.69 ✓
12	शान्तिलाल पिता पीरूलाल ✓	155 ✓			83.11 ✓		
13	146/1	0.253	शंकरलाल पिता बालमुकंद ✓	163/3 ✓	26.16 ✓		
14			धर्मन्द्र, ईश्वर, जीवन पिता शिवलाल, सजनबाई बेवा शिवलाल ✓	197/1 ✓	26.42 ✓		
कुल योग :-					1187.500		
					या (हे.में) 0.119 ✓		

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 1447

राजगढ़, दिनांक 9 जुलाई 2019

क्रमांक / भू-अर्जन / 2015 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक ...../अ-82/2016-17 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मूण्डला सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम गोपालपुरा, खाण्डियापुरा, खरना, लीलबेह, मगरियादेह, मूण्डला, पड़िया एवं सुल्तानपुरा के लिए डूब में प्रभावित शेष भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि मूण्डला सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

### —: अनुसूची ( 1 ) :—

#### मूण्डला सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर
( 1 )	( 2 )	( 3 )
1	गोपालपुरा	0.553
2	खाण्डियापुरा	6.877
3	लीलबेह	1.146
4	मगरियोदेह	3.708
5	मूण्डला	3.657
6	पड़िया	2.746
7	सुल्तानपुरा	2.159
कुल योग :-		20.846

### —: अनुसूची ( 2 ) :—

#### मूण्डला सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम गोपालपुरा

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
1	राजेन्द्रसिंह पिता गुमानसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भू-स्वामी	79/2 78/2	0.139 0.183	0.030 0.025
योग		2	0.322	0.055
2	महेन्द्रसिंह पिता भंवरलाल जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	78/1	0.184	0.125
योग		1	0.184	0.125
3	नन्दनसिंह, देवराजसिंह पिता रामनाथसिंह, लाडकुंवर विधवा रामनाथसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भू-स्वामी	28/4/3	0.173	0.173
योग		1	0.173	0.173

स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
4	छगनसिंह पिता विक्रमसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा. भूस्वामी (केवल मुर्गीफार्म के अर्जन हेतु)	27/1/1	0.000	0.000 (केवल मुर्गीफार्म के अर्जन हेतु)
	योग	1	0.000	0.000
5	रमेश पिता किशन जाति अ.जा. नि.ग्रा.भूस्वामी	71/4	0.253	0.100
	योग	1	0.253	0.100
6	विष्णु पिता बंशी जाति अ.जा. नि.ग्रा.भूस्वामी	71/5	0.253	0.100
	योग	1	0.253	0.100
	ग्राम गोपालपुरा कुलयोग :-	7	1.185	0.553
<b>मूण्डला सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम खाण्डियापुरा</b>				
1	सुनीताबाई पत्नि कमलसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	9/2	0.379	0.379
	योग	1	0.379	0.379
2	रोड़जी पिता जगन्नाथ जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	188/1 10/1/1	0.089 0.290	0.025 0.290
	योग	2	0.379	0.315
3	भगवानसिंह पिता प्रेमसिंह, भंदरीबाई बेवा प्रेमसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	188/2	0.088	0.025
	योग	1	0.088	0.025
4	भंवरलाल, देवबाई, गंगाबाई, बदनबाई पिता गोपीलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	187	0.164	0.147
	योग	1	0.164	0.147
5	धीरपसिंह पिता करणसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	186/253/1 208/1 13/4	0.098 0.253 0.581	0.039 0.253 0.055
	योग	3	0.932	0.347
6	बनेसिंह पिता करणसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	186/253/2 208/2	0.098 0.253	0.039 0.253
	योग	2	0.351	0.292
7	बनेसिंह पिता भंवरजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	186/261/1 186/1/1	0.017 0.151	0.006 0.055
	योग	2	0.168	0.061
8	प्रेमबाई बेवा हिम्मतसिंह, सुनील ना.बा.पिता हिम्मतसिंह स.प.माता प्रेमबाई बेवा हिम्मतसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	186/261/2	0.017	0.006
	योग	1	0.017	0.006
9	भारतसिंह पिता भंवरजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	186/261/3 186/3/1	0.017 0.152	0.006 0.056
	योग	2	0.169	0.062



स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्दें नंबर	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
10	बापूलाल पिता भंवरलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	177/1 11/3/1	0.791 0.271	0.474 0.271
	योग	2	1.062	0.745
11	देवसिंह पिता भंवरलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	177/2 11/4/1 12/4/1	0.790 0.255 0.015	0.474 0.255 0.015
	योग	3	1.060	0.744
12	अनारसिंह पिता भंवरलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	178	0.038	0.038
	योग	1	0.038	0.038
13	शैतानबाई, कान्ताबाई पिता भंवरलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	176	0.025	0.025
	योग	1	0.025	0.025
14	करणसिंह पिता घीसा जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	172	0.063	0.063
	योग	1	0.063	0.063
15	कंवरलाल, बनेसिंह, धीरपसिंह पिता भंवरजी, कंशरबाई बेवा भंवरजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	156/1 155/1 153	0.013 0.017 0.051	0.007 0.017 0.025
	योग	3	0.081	0.049
16	बापूलाल पिता देवजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	156/2 155/2	0.012 0.017	0.006 0.017
	योग	2	0.029	0.023
17	रामसिंह पिता देवजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	156/3 155/3	0.013 0.017	0.007 0.017
	योग	2	0.030	0.024
18	कुमेरसिंह पिता माधू जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	154 152	0.013 0.013	0.013 0.007
	योग	2	0.026	0.020
19	हीरालाल पिता रायसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	145/1 146/1	0.012 0.082	0.012 0.082
	योग	2	0.094	0.094
20	नारायणसिंह पिता रायसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	145/2 146/2	0.013 0.082	0.013 0.082
	योग	2	0.095	0.095
21	हीरालाल पिता नारायणसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी	144	0.051	0.035
	योग	1	0.051	0.035

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
22	मोतीलाल, धूलीबाई, नोरंगबाई पिता गोपीलाल जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	147 226	0.051 0.013	0.051 0.013
	<b>योग</b>	<b>2</b>	<b>0.064</b>	<b>0.064</b>
23	बीरमसिंह, धीरपसिंह, रतनबाई, अनोखबाई, अमीरबाई, कमलाबाइ, ललताबाई पिता भावसिंह केसरबाई बेवा भावसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	148 150 225 227 228	0.063 0.089 0.013 0.013 0.025	0.063 0.045 0.013 0.013 0.025
	<b>योग</b>	<b>5</b>	<b>0.203</b>	<b>0.159</b>
24	लाडकुंवर पिता गोरीलाल, कंचनबाई पति गोरीलाल जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	149	0.076	0.076
	<b>योग</b>	<b>1</b>	<b>0.076</b>	<b>0.076</b>
25	गीताबाई बेवा गंगाराम, मांगीबाई, रिकूबाई, एलकार पिता गंगाराम जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	242/1 241	0.026 0.038	0.013 0.038
	<b>योग</b>	<b>2</b>	<b>0.064</b>	<b>0.051</b>
26	किशनलाल पिता शिवसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	242/2 232/2	0.025 0.169	0.013 0.008
	<b>योग</b>	<b>2</b>	<b>0.194</b>	<b>0.021</b>
27	शिवसिंह पिता भंवरलाल जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	240 239	0.025 0.076	0.025 0.076
	<b>योग</b>	<b>2</b>	<b>0.101</b>	<b>0.101</b>
28	गंगाराम, मोहनलाल पिता बागजी हि.1/2 रोड़जी, डूंगसिंह, बापूलाल, सुन्दरबाई पिता धूलजी जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	223 224 215 214 213 219 220 210 209 217	0.076 0.025 0.190 0.038 0.164 0.342 0.987 0.987 1.555 0.013	0.076 0.025 0.171 0.038 0.082 0.051 0.320 0.050 0.777 0.013
	<b>योग</b>	<b>10</b>	<b>4.377</b>	<b>1.603</b>
29	मोतीलाल, भूलीबाई, नोरंगबाई पिता गोपीलाल हि. 16 पे. भावसिंह पिता बलदेवसिंह हि. 52 पे. शिवसिंह पिता भंवरजी जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	230	0.051	0.051
	<b>योग</b>	<b>1</b>	<b>0.051</b>	<b>0.051</b>
30	इन्दरसिंह पिता करणसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	208/3 13/3	0.253 0.581	0.253 0.055
	<b>योग</b>	<b>2</b>	<b>0.834</b>	<b>0.308</b>
31	हरिसिंह पिता करणसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	208/4 13/2/1	0.759 0.090	0.500 0.054
	<b>योग</b>	<b>2</b>	<b>0.849</b>	<b>0.554</b>

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
32	सूरजसिंह पिता अनारसिंह जाति सौधिया नि.ग्रा.भू.स्वामी	11/1/1	0.093	0.093
	योग	1	0.093	0.093
33	अमृतसिंह पिता अनारसिंह जाति सौधिया नि.ग्रा.भू.स्वामी	11/2/1	0.093	0.093
	योग	1	0.093	0.093
34	हरिसिंह, धीरपसिंह, दन्दरसिंह, बनेसिंह पिता करणसिंह जाति सौधिया नि.ग्रा.भू.स्वामी	13/1	0.013	0.013
	योग	1	0.013	0.013
35	प्रेमबाई बेवा हिम्मतसिंह, सुनील ना0बा0 पिता हिम्मतसिंह स0पर0 माता प्रेमबाई जाति सौधिया नि.ग्रा.भू.स्वामी	186/2/1	0.151	0.055
	योग	1	0.151	0.055
36	गजराजसिंह पिता शिवसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	245/1	0.038	0.038
	योग	1	0.038	0.038
37	कमलसिंह पिता शिवसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	232/3	0.169	0.008
	योग	1	0.169	0.008
<b>ग्राम खाण्डियापुरा कुलयोग :-</b>		<b>72</b>	<b>12.671</b>	<b>6.877</b>
<b>मूण्डला सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम लीलबेह</b>				
1	शिवलाल पिता ईशर जी जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	25 13/2/1/4	0.569 0.054	0.382 0.013
	योग	2	0.623	0.395
2	सम्पतबाई पिता रामलाल जाति रूहेला नि.ग्राम भू-स्वामी	28/1/1	0.083	0.083
	योग	1	0.083	0.083
3	सम्पतबाई पत्नि करणसिंह जाति रूवाला नि.ग्राम खरना	28/2/1	2.114	0.200
	योग	1	2.114	0.200
4	मांगीलाल पिता करणसिंह जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	28/3/1	3.234	0.234
	योग	1	3.234	0.234
5	लक्ष्मीनारायण पिता रामलाल जाति भोई नि.ग्राम भू-स्वामी	43/2	0.095	0.008
	योग	1	0.095	0.008
6	हीरालाल पिता गोपीलाल	33	0.607	0.013
	योग	1	0.607	0.013

स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
7	विजयसिंह पिता भारतसिंह तेजसिंह, हनुमंतसिंह पिता लालसिंह सावतसिंह पिता चैनसिंह जाति गुर्जर नि.ग्राम मगरियादेह भू-स्वामी	51/11/1	2.306	0.213
	योग	1	2.306	0.213
	ग्राम लीलबेह कुलयोग :-	8	9.062	1.146
<b>मूण्डला सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम मगरियादेह</b>				
1	चैनसिंह पिता प्यारजी जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी	6/140	0.316	0.158
	योग	1	0.316	0.158
2	मोडसिंह पिता रामकिशन जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी	6/4/7	0.804	0.804
	योग	1	0.804	0.804
3	मांगीलाल पिता रामकिशन जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी	6/2	1.012	0.607
	योग	1	1.012	0.607
4	भारतसिंह, लालसिंह, चैनसिंह, रामचन्द्र पिता प्यारजी जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी	91/1 15	0.620 0.354	0.620 0.354
	योग	2	0.974	0.974
5	देवीसिंह, लाखनसिंह, लक्ष्मीनारायण, गीताबाई, मांगीबाई, रामकला पिता भागमल, भूलीबाई विधवा भागमल जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी	6/7	2.529	0.530
	योग	1	2.529	0.530
6	लक्ष्मीनारायण पिता भागमल जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी	127/4/1/1	1.003	0.360
	योग	1	1.003	0.360
7	लाखनसिंह पिता भागमल जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी	127/4/2/1	1.416	0.275
	योग	1	1.416	0.275
	ग्राम मगरियादेह कुलयोग :-	8	8.054	3.708
<b>मूण्डला सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम मूण्डला</b>				
1	बालू, रामप्रसाद, रामचरण पिता जगन्नाथ जाति बेड़िया नि.ग्राम भू-स्वामी	291/4/2/1	1.630	0.950
	योग	1	1.630	0.950
2	प्रेमसिंह, शिवनारायण माता भंवरीबाई जाति बेड़िया नि.ग्राम भू-स्वामी	291/4/3/1	1.642	0.974
	योग	1	1.642	0.974
3	हजारीलाल पिता धूलजी जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	291/4/5/1/1/1	0.589	0.193
	योग	1	0.589	0.193

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
4	रतन पिता धूलजी जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	291/4/5/2/1	0.493	0.193
	योग	1	0.493	0.193
5	नारायण पिता धूलजी जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	291/4/5/3/1	0.620	0.193
	योग	1	0.620	0.193
6	हेमराज पिता नारायण जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	291/18/1/1	0.922	0.200
	योग	1	0.922	0.200
7	बंशी पिता नाथू जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	309/17	0.204	0.204
	योग	1	0.204	0.204
8	मदनलाल पिता शंकर, रोडीबाइ पति मदन, सौरमबाई पति कन्हैयालाल, ज्योति, संगीता ना.बा.पिता कन्हैयालाल भूमि स्वामी	309/13/1	1.600	0.750
	योग	1	1.600	0.750
ग्राम मूण्डला महायोग :-		8	7.700	3.657

मूण्डला सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम पड़िया

1	विक्रमसिंह, बलरामसिंह पिता सरदारसिंह, टम्का कुंवर बेवा कल्याणसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	12/3 11/3	0.155 0.050	0.078 0.025
	योग	2	0.205	0.103
2	मोगजी पिता खीमा जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	11/406/1/1 26/1/1	0.037 1.295	0.027 0.452
	योग	2	1.332	0.479
3	चेनसिंह पिता खीमाजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	11/406/1/2	0.037	0.027
	योग	1	0.037	0.027
4	भीमसिंह पिता खीमाजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	11/406/1/3 26/1/3/1	0.037 0.452	0.027 0.128
	योग	2	0.489	0.155
5	सूरजसिंह पिता नारायणसिंह, केदारबाई बेवा नारायणसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	11/406/2/1	0.009	0.009
	योग	1	0.009	0.009
6	हरिसिंह पिता केशरसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	11/406/2/2	0.009	0.007
	योग	1	0.009	0.007
7	बनेसिंह पिता केशरसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	11/406/2/3	0.011	0.008
	योग	1	0.011	0.008

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
8	प्रहलादसिंह पिता पर्वतसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भू-स्वामी	11/1	0.203	0.030
	योग	1	0.203	0.030
9	जगन्नाथसिंह पिता देवीसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भू-स्वामी	11/2	0.051	0.025
	योग	1	0.051	0.025
10	भारतसिंह पिता चैनसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	26/1/2/1/1	0.225	0.225
	योग	1	0.225	0.225
11	सरजनसिंह पिता चैनसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	26/1/2/1/2	0.225	0.225
	योग	1	0.225	0.225
12	मेवाबाई, भंवरीबाई पुत्रिया बाबरू जाति कोली नि. ग्राम भू-स्वामी	236/1	0.021	0.021
		190	0.013	0.013
	योग	3	0.034	0.034
13	हजारी पिता जसाजी जाति चमार	188/1	0.285	0.285
	योग	3	0.285	0.285
14	बीरम पिता लालजी मु. बसन्तीबाई बेवा लालजी जाति कोली नि.ग्राम भू-स्वामी	236/2	0.021	0.021
		188/2	0.275	0.275
	योग	2	0.296	0.296
15	मिश्रीलाल पिता हरदेव जाति कोली नि.ग्राम भू-स्वामी	236/3	0.021	0.021
		188/3	0.275	0.275
	योग	2	0.296	0.296
16	रतनलाल पिता बापूलाल जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	237/1	0.019	0.019
		237/2	0.019	0.019
	योग	2	0.038	0.038
17	भगवानसिंह पिता जगन्नाथ, सुन्दरबाई बेवा जगन्नाथ, कृष्णाबाई, पपीताबाई पिता जगन्नाथ जाति सौधिया नि. ग्राम भू-स्वामी	29/1/2	0.504	0.504
	योग	1	0.504	0.504
	ग्राम पड़िया कुलयोग :-	24	4.249	2.746

मूण्डला सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम सुल्तानपुरा				
1	बनेसिंह पिता जगन्नाथ जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	181/2/1	0.450	0.350
	योग	1	0.450	0.350
2	बंशीलाल पिता गोपीलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	181/4/1	0.330	0.330
स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
	2	3	4	5
	योग	1	0.330	0.330
3	हरिसिंह, प्यारजी, दरियावसिंह, मांगीलाल पिता गंगाराम सौंधिया नि.ग्रा.भू.स्वामी	181/1/1	0.495	0.295
	योग	1	0.495	0.295
4	लालजी, रतनलाल, भूलीबाई, गंगाबाई पिता मोतीलाल, प्रेमनारायण, रमेश, चतरबाई, कंचनबाई, अजबबाई पिता प्यारजी, अन्तरबाई विधवा प्यारजी जाति सौंधिया नि.ग्राम	295	0.025	0.025
	योग	1	0.025	0.025
5	प्रभू पिता लक्ष्मण जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	176 180	0.708 0.291	0.708 0.291
	योग	2	0.999	0.999
6	अमरसिंह पिता भीमा जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	181/5/1	0.406	0.160
	योग	1	0.406	0.160
	ग्राम सुल्तानपुरा कुल योग :-	7	2.705	2.159
	महायोग :-	134	45.626	20.838

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
निधि निवेदिता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रा.प्र.क्रमांक-01-अ-82-2017-2018-भू-अर्जन

छिन्दवाड़ा, दिनांक 4 जुलाई 2019

म0प्र0 शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2/2014/सात/शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति"(Consent Land Purchase Policy) के तहत स्पेशल इकॉनॉमिक जोन (एस0ई0जेड0) परियोजना की स्थापना हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मैसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड नागपुर (महाराष्ट्र) के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है। उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में स्पेशल इकॉनॉमिक जोन (एस0ई0जेड0) परियोजना की स्थापना हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

—:अनुसूची:—

1. भूमि का वर्णन:—

जिला	तहसील	नगर/ ग्राम	क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है।
1	2	3	4	5	6	7
छिन्दवाड़ा	सौंसर	ग्राम—दुधालाखुर्द, प0ह0न0-61 ब0न0-189, रा0नि0म0— लोधीखेडा	प्रेमदास पिता दौलत उईके निवासी ग्राम भूमिस्वामी	103/3	0.583	स्पेशल इकॉनॉमिक जोन (एस0ई0जेड0) परियोजना की स्थापना हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये।
		कुल योग		1	0.583 हेक्टेयर	

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है।



क्रमांक 4600-भू-अर्जन-2019

छिन्दवाड़ा, दिनांक 5 जुलाई 2019

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय बल्लम भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22 ए/101/2016/एम0पी0एस0/31/1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत 'सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्तमय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

#### अनुसूची

##### 1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	छिंदवाड़ा	ग्राम- उमरहर प0ह0न-70 ब.न.-23 रा.नि.मं. -छिंदवाड़ा	रकबा- 0.881 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा	पंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट मुख्य नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट [www.chhindwara.nic.in](http://www.chhindwara.nic.in) एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संभाग क्रमांक-01 चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-01 चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्रमांक 4608-भू-अर्जन-2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22 ए/101/2016/एम0पी0एस0/31/1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "रिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्काल प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

#### अनुसूची

##### 1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	छिंदवाड़ा	ग्राम- भाजीपानीकला प0ह0न-68 ब.न.-427 रा.नि.मं. -छिंदवाड़ा	रकबा- 0.110 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा	पंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट मुख्य नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.chhindwara.nic.in](http://www.chhindwara.nic.in) एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संभाग क्रमांक-01 चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-01 चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्रमांक 4609-भू-अर्जन-2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2 मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22 ए/101/2016/एम0पी0एस0/31/1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत 'सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

#### अनुसूची

#### 1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	छिंदवाड़ा	ग्राम- खापाकला प0ह0न-69 ब.न.-94 रा.नि.मं. -छिंदवाड़ा	रकबा- 0.103 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियाँ।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा	पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट मुख्य नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.chhindwara.nic.in](http://www.chhindwara.nic.in) एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संभाग क्रमांक-01 चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-01 चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्रमांक 4610-भू-अर्जन-2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22 ए/101/2016/एम0पी0एस0/31/1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

#### अनुसूची

##### 1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	ग्राम- उभेगांव खजरी प0ह0न-43 ब.न.-19 रा.नि.मं.- छिन्दवाड़ा	रकबा- 01.831 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा	पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट मुख्य नहर की टेल वितरक नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.chhindwara.nic.in](http://www.chhindwara.nic.in) एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संभाग क्रमांक-01 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-01 चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्रमांक 4611-भू-अर्जन-2019

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2 मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22 ए/101/2016/एम0पी0एस0/31/1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

#### अनुसूची

##### 1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	छिंदवाडा	ग्राम- सांख प0ह0न-42 ब.न.-544 रा.नि.मं. -छिंदवाडा	रकबा- 01.843 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-छिंदवाडा जिला छिंदवाडा	पंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट मुख्य नहर की टेल वितरक नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.chnindwara.nic.in](http://www.chnindwara.nic.in) एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.imprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-छिंदवाडा, जिला छिंदवाडा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संभाग क्रमांक-01 चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-01 चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिंदवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्रमांक 4729-भू-अर्जन-2019

छिन्दवाड़ा, दिनांक 10 जुलाई 2019

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. चूंकि, भारत सरकार रेल मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 2015/W-I/CR/DPR/Itarsi-Nagpur 3 rd Line/New Delhi, dated 02-09-2016 के अन्तर्गत रेलवे परियोजना के अंतर्गत इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन निर्माण के लिये भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा तीसरी रेलवे लाइन जो कि, भारत सरकार रेल मंत्रालय की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा-9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

#### अनुसूची

#### 1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	पाण्डुर्णा	ग्राम-पाण्डुर्णा प0ह0न-51, ब.न.-234, रा.नि.म.- पाण्डुर्णा,	रकबा 02.126 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-पाण्डुर्णा जिला छिन्दवाड़ा	भारत सरकार रेलवे मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत रेलवे परियोजना के अंतर्गत इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट [www.chhindwara.nic.in](http://www.chhindwara.nic.in) एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-पाण्डुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण उप-मुख्य अभियंता (निर्माण) मध्य रेल नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यकारी इंजीनियर (निर्माण) मध्य रेल नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्रमांक 4774-भू-अर्जन-2019

छिन्दवाड़ा, दिनांक 11 जुलाई 2019

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. चूंकि, भारत सरकार द्वारा आवेदक कम्पनी को तहसील सौसर, जिला छिन्दवाड़ा के ग्राम कोदाडोंगरी बी-1, कोदाडोंगरी बी-2, कोदाडोंगरी दवामी, कोदाडोंगरी मालगुजारी, सावंगा, दुधालाखुर्द, सातनूर, खापाकरीमवार में स्पेशल इकॉनॉमिक जोन (एस0ई0जेड0) परियोजना की स्थापना किये जाने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक कम्पनी द्वारा स्पेशल इकॉनॉमिक जोन (एस0ई0जेड0) परियोजना जो कि, आवेदक कम्पनी की महत्वकांक्षी योजना में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा-9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

#### अनुसूची

#### 1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	सौसर	ग्राम- सावंगा पोहोन- 61/24, ब.न.-381, रा.नि.म.- लोधीखेडा,	रकबा 0.200 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-सौसर जिला छिन्दवाड़ा	स्पेशल इकॉनॉमिक जोन (एस0ई0जेड0) परियोजना की स्थापना किये जाने निजी भूमि का अधिग्रहण

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.chhindwara.nic.in](http://www.chhindwara.nic.in) एवं MOPRO शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-सौसर, जिला छिन्दवाड़ा (MOPRO) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड नागपुर (महाराष्ट्र) स्थानीय कार्यालय मुख्यालय सौसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्रमांक 4775-भू-अर्जन-2019

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. चूंकि, भारत सरकार द्वारा आवेदक कम्पनी को तहसील साँसर, जिला छिन्दवाड़ा के ग्राम कोदाडोंगरी बी-1, कोदाडोंगरी बी-2, कोदाडोंगरी दवामी, कोदाडोंगरी मालगुजारी, सावंगा, दुधालखुर्द, सातनूर, खापाकरीमवार में स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एस0ई0जेड0) परियोजना की स्थापना किये जाने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक कम्पनी द्वारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एस0ई0जेड0) परियोजना जो कि, आवेदक कम्पनी की महत्वकांक्षी योजना में किथान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा-9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	साँसर	ग्राम- सातनूर प0ह0न- 80/23, ब.न.-376, रा.नि.मं.- लोधीखेड;	रकबा 10.835 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-साँसर जिला छिन्दवाड़ा	स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एस0ई0जेड0) परियोजना की स्थापना किये जाने निजी भूमि का अधिग्रहण

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.chhindwara.nic.in](http://www.chhindwara.nic.in) एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-साँसर, जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण मैसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड नागपुर (महाराष्ट्र) स्थानीय कार्यालय मुख्यालय साँसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।



क्रमांक 4776-भू-अर्जन-2019

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. चूंकि, भारत सरकार द्वारा आवेदक कम्पनी को तहसील सौसर, जिला छिन्दवाड़ा के ग्राम कोदाडोंगरी बी-1, कोदाडोंगरी बी-2, कोदाडोंगरी दवामी, कोदाडोंगरी मालगुजारी, सावंगा, दुधालाखुर्द, सातनूर, खापाकरीमवार में स्पेशल इकॉनॉमिक जोन (एस0ई0जेड0) परियोजना की स्थापना किये जाने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक कम्पनी द्वारा स्पेशल इकॉनॉमिक जोन (एस0ई0जेड0) परियोजना जो कि, आवेदक कम्पनी की महत्वकांक्षी योजना में किशान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा-9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

#### अनुसूची

#### 1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	सौसर	ग्राम- कोदाडोंगरी बी-1 प0ह0न- 80/23, ब.न.-58, रा.नि.म.- लोधीखेड़ा	रकबा 0.227 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-सौसर जिला छिन्दवाड़ा	स्पेशल इकॉनॉमिक जोन (एस0ई0जेड0) परियोजना की स्थापना किये जाने निजी भूमि का अधिग्रहण

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.chhindwara.nic.in](http://www.chhindwara.nic.in) एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-सौसर, जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण भेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेवलपर्स लिमिटेड नागपुर (महाराष्ट्र) स्थानीय कार्यालय मुख्यालय सौसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन दिये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्रमांक 4777-भू-अर्जन-2019

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. चूंकि, भारत सरकार द्वारा आवेदक कम्पनी को तहसील सौसर, जिला छिन्दवाड़ा के ग्राम कोदाडोंगरी बी-1, कोदाडोंगरी बी-2, कोदाडोंगरी दवामी, कोदाडोंगरी मालगुजारी, सावंगा, दुधालाखुर्द, सातनूर, खापाकरीमवार में स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एस0ई0जेड0) परियोजना की स्थापना किये जाने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक कम्पनी द्वारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एस0ई0जेड0) परियोजना जो कि, आवेदक कम्पनी की महत्वकांक्षी योजना में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा-9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

#### अनुसूची

#### 1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	सौसर	ग्राम-खापाकरीमवार प0ह0न-60/23, ब.न.-74, रा.नि.मं.-लोधीखेडा,	रकबा 0.534 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-सौसर जिला छिन्दवाड़ा	स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एस0ई0जेड0) परियोजना की स्थापना किये जाने निजी भूमि का अधिग्रहण

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.chhindwara.nic.in](http://www.chhindwara.nic.in) एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-सौसर, जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण मैसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड नागपुर (महाराष्ट्र) स्थानीय कार्यालय मुख्यालय सौसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्रमांक 4778-भू-अर्जन-2019

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. चूंकि, भारत सरकार द्वारा आवेदक कम्पनी को तहसील सौसर, जिला छिन्दवाड़ा के ग्राम कोदाडोंगरी बी-1, कोदाडोंगरी बी-2, कोदाडोंगरी दवामी, कोदाडोंगरी मालगुजारी, सावंगा, दुधालाखुर्द, सातनूर, खापाकरीमवार में स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एस0ई0जेड0) परियोजना की स्थापना किये जाने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक कम्पनी द्वारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एस0ई0जेड0) परियोजना जो कि, आवेदक कम्पनी की महत्वकांक्षी योजना में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा-9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

#### अनुसूची

##### 1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	सौसर	ग्राम- कोदाडोंगरी मालगुजारी प0ह0न- 60/23, ब.न.-57, रा.नि.म.- लोधीखेडा	रकबा 01.041 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-सौसर जिला छिन्दवाड़ा	स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एस0ई0जेड0) परियोजना की स्थापना किये जाने निजी भूमि का अधिग्रहण

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट [www.chhindwara.nic.in](http://www.chhindwara.nic.in) एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-सौसर, जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण मैसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड नागपुर (महाराष्ट्र) स्थानीय कार्यालय मुख्यालय सौसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी एवं समुचित सरकार

क्रमांक 3765-रीडर-भू-अर्जन-2019-कलेक्टर-रा.प्र.क्र. 08-अ-82-2019-20

बड़वानी, दिनांक 5 जुलाई 2019

(अधिनियम की धारा-11 का भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्र. 30 सन् 2013 )

कलेक्टर को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिये नागलवाड़ी माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम अजंदी तहसील ठीकरी जिला बड़वानी में 2.632 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है अर्थात् 6.50 एकड़ सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (एसआईए) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विवरित जिला कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा एक रिपोर्ट / प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था। सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाघात रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है)-अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं।

नागलवाड़ी माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु भूमि अर्जन के कारण कुल शून्य कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना है। इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता का कारण नीचे दिया गया है - निरंक।

निरंक प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिये प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है, अतः जिला निरंक तहसील निरंक ग्राम निरंक में उक्त परियोजना के लिये निरंक हेक्टेयर माप के एक भू-खण्ड अर्थात् निरंक मानक माप के भू-खण्ड जिसका विवरण निरंक है।

नागलवाड़ी माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम अजंदी तहसील ठीकरी जिला बड़वानी की अनुसूची अनुसार वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

### अनुसूची

स.क्र.	खसरा नंबर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र हेक्टेयर में	हितवध व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
1	99/1/1	भू-स्वामी	निजी भूमि	0.220	सखाराम मयाराम दयाराम सीताराम पिता रन्छोड जाति भीलाला पता नि. ग्राम भू-स्वामी
2	100/1 101/1/2/क/1	भू-स्वामी	निजी भूमि	2.412	लच्छीराम पिता शोभाराम जाति भीलाला पता नि. ग्राम भू-स्वामी
योग				2.632	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा 11 (1) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है। भूमि से संबंधित रेखांकन भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र. 14 ठीकरी में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री अधिकारी और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने किसी भी भूमि के स्तर लेने अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा-11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् कय/विकय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किये जा सकेंगे।

सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नागलवाड़ी माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण का पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन किया गया है अतः धारा-6 की उपधारा 2 क के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा-10 के प्रावधान भी सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं होंगे।

क्रमांक 3764-रीडर-भू-अर्जन-2019-कलेक्टर-रा.प्र.क्र. 09-अ-82-2019-20

(अधिनियम की धारा-11 का भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्र. 30 सन् 2013 )

कलेक्टर को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिये नागलवाड़ी माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम ब्राह्मणगांव तहसील ठीकरी जिला बड़वानी में 1.332 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है अर्थात् 3.29004 एकड़ सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (एसआईए) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विवरित जिला कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा एक रिपोर्ट / प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था । सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाघात रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है)-अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं।

नागलवाड़ी माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु भूमि अर्जन के कारण कुल शून्य कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना है। इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता का कारण नीचे दिया गया है - निरंक।

निरंक प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिये प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है, अतः जिला निरंक तहसील निरंक ग्राम निरंक में उक्त परियोजना के लिये निरंक हेक्टेयर माप के एक भू-खण्ड अर्थात् निरंक मानक माप के भू-खण्ड जिसका विवरण निरंक है ।

नागलवाड़ी माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम ब्राह्मणगांव तहसील ठीकरी जिला बड़वानी की अनुसूची अनुसार वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

#### अनुसूची

स.क्र.	खसरा नंबर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र हेक्टेयर में	हितवध व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
1	157	भू-स्वामी	निजी भूमि	0.129	सफी मो. पिता वहादर खॉं जाति मुसलमान पता नि. ग्राम भू-स्वामी
2	159	भू-स्वामी	निजी भूमि	0.263	गफफार, मो. बशीर, बाबुखा, सत्तार, सलीम, शब्बीर, नवाज, मेहबुबा, नईम, निशार पिता नूरमोहम्मद, मुलामबी पिता नूरमोहम्मद, मुनसार पिता शफिक जाति मुसलमान नि.ग्राम ब्राह्मणगांव हा. मु. सेन्धवा भू-स्वामी
3	160	भू-स्वामी	निजी भूमि	0.231	मकबूल पिता नत्थू जाति मुसलमान नि. ग्राम भू-स्वामी
4	163 171 174	भू-स्वामी	निजी भूमि	0.255	आरिफ पिता मकबूल जाति मुसलमान नि. ग्राम भू-स्वामी
5	164	भू-स्वामी	निजी भूमि	0.101	गीताबाई, सीताबाई पिता कालू, जाति लुहार। नन्दुबाई बेवा भगवान रमेशचन्द्र, नरेन्द्र, अनिल पिता राधाकृष्ण, गजानन्द, मनोहर, दिलीप, दीपक संजय पिता केशव, संध्या पिता केशव सुशीलाबाई बेवा केशव, महादेव नारायण पिता शंकर जाति ब्राह्मण नि. ग्राम भू-स्वामी

6	166	भू-स्वामी	निजी भूमि	0.020	सुनील सुधीर, दीलीप दुर्गाबाई इन्दुमति पिता नत्थू जाति नाई उमलेश मन्दा कृष्णा सुषमा माया किर्ती शारदा पिता राजाराम विद्याबाई बेवा राजाराम जाति नाई नि. ग्राम भू-स्वामी
7	172	भू-स्वामी	निजी भूमि	0.012	नाना पिता सोमा जाति ब्राह्मण नि. ग्राम भू-स्वामी
8	173	भू-स्वामी	निजी भूमि	0.032	हिरालाल शिवजी, धन्या पिता सुन्दर, पन्नालाल, बट्टी पिता मंगा, मिटीबाई बेवा मंगा, रूगनाथ, सखाराम मंगू पिता रामा, जाति तेली सोमा, लक्ष्मण पिता मन्ना, नारायण पिता बाजरिया जाति कोली नि. ग्राम भू-स्वामी
9	176	भू-स्वामी	निजी भूमि	0.113	रमेश, फकीरा, सुरेश, पिता ऊंकार शंकर पिता नत्थू जाति कोली नि. ग्राम भू-स्वामी
10	177	भू-स्वामी	निजी भूमि	0.081	जीवन प्रताप पिता बाला जसमा रेशमा जसोदा पिता बाला जाति कोली नि. ग्राम भूमि-स्वामी
11	179/3	भू-स्वामी	निजी भूमि	0.075	गबरूलाल मनोरमाबाई पिता मांगीलाल जाति कहार पता नि. ग्राम भू-स्वामी
योग				1.332	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा 11 (1) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है। भूमि से संबंधित रेखांकन भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र. 14 ठीकरी में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री अधिकारी और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने किसी भी भूमि के स्तर लेने अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा-11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् कय/विकय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किये जा सकेंगे।

सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नागलवाड़ी माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण का पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन किया गया है अतः धारा-6 की उपधारा 2 क के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा-10 के प्रावधान भी सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं होंगे।

**अमित तोमर, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.**

## राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 5 जुलाई 2019

क्र. 4597-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा  
 (ख) तहसील—सौंसर  
 (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-पौनारी, प.ह.नं. 44/46, ब. नं.-353, रा.नि.मं.-इकलबिहरी.  
 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—कुल रकबा—0.223 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	
101	0.223	
	<u>योग कुल रकबा . . . 0.223</u>	हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—नवीन जेल निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-

सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अधीक्षक, जिला जेल छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र. 4599-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा  
 (ख) तहसील—सौंसर  
 (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-अर्जुनवाड़ी, प.ह.नं. 44, ब. नं.-08, रा.नि.मं.-इकलबिहरी.  
 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—कुल रकबा—08.583 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	
55/1	0.855	
55/2	0.856	
55/3	0.855	
57/2	03.035	
58	01.214	
59/1/1	01.041	
59/1/2	0.334	
59/1/2/2	0.333	
59/2	0.060	
	<u>योग . . . 08.583</u>	हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—नवीन जेल निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट <a href="http://www.chhindwara.mp.gov.in">http://www.chhindwara.mp.gov.in</a> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट <a href="http://www.mprevenue.nic.in/">http://www.mprevenue.nic.in/</a> पर भी देखा जा सकता है.	(1) 26/3 72/1 72/3 72/5	(2) 0.100 0.040 0.032 0.016
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.	72/2 72/4 72/6 81/5, 6, 7	0.048 0.032 0.040 0.100
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अधीक्षक, जिला जेल छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.	81/9 82/2 87/3 112/1 112/3 139/1 139/3 139/4	0.100 0.020 0.020 0.060 0.040 0.056 0.028 0.020

क्र. 4612-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—  
 (क) जिला—छिन्दवाड़ा  
 (ख) तहसील—पांडुर्णा  
 (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-पिठेर रैयत, प.ह.नं. 20, ब. नं.-15, रा.नि.मं.-नांदनवाडी.  
 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—कुल रकबा—12.319 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
26/1	0.993
26/2	01.374
27/1, 2	01.214
27/5	0.945
27/6	0.650
57/1	02.169
57/2	01.818
31/4	0.200
67/1	0.250
67/2	0.490
67/3	0.250
63	0.405
68/1	0.809

योग कुल रकबा . . . 12.319 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पिठेर जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु लघु सिंचाई योजना के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-पांडुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, उप संभाग पांडुर्णा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.



क्र. 4613-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा  
 (ख) तहसील—पांडुर्णा  
 (ग) नगर/ग्राम—ग्राम—लांघा, प.ह.नं. 65, ब. नं.-351, रा.नि.मं.-पांडुर्णा.  
 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—कुल रकबा—21.977 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
411/7	0.120
413/1	0.300
413/2	0.340
416/1	0.603
416/3	0.603
420/1	0.200
420/2	0.500
421	0.761
422	0.579
423	0.522
424	0.089
427	0.437
428	0.486
429/1	0.303
429/2	0.304
446/1	0.100
446/5	0.510
446/2	0.708
461	0.180
462/1	0.607
462/2	0.388
462/3	0.405
463	0.214
468	0.567
464/1	0.512
466/1	0.024
464/2	0.511

(1)	(2)
466/2	0.025
467	0.745
469	0.267
470	0.603
471/1	0.202
471/2	0.655
472/1	0.079
471/3	0.558
472/2	0.079
471/4	0.575
471/5	0.729
473	0.704
474	0.845
484	0.202
485/1	0.182
485/2	0.182
486	0.555
488/1	0.370
489/2	0.324
489/5	0.643
488/2	0.266
489/1	0.405
489/3	0.607
491	0.527
577/1	0.437
577/5	0.282
577/13	0.056
योग कुल रकबा . .	21.977 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—लांघा के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु लघु सिंचाई योजना के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.	
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <a href="http://www.chhindwara.mp.gov.in">http://www.chhindwara.mp.gov.in</a> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <a href="http://www.mprevenue.nic.in/">http://www.mprevenue.nic.in/</a> पर भी देखा जा सकता है.	
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-	

पांडुर्णा, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.	(1) 195	(2) 01.011
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्रों, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.	270/2 272/1 277 278	0.044 0.129 0.057 0.069
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, उप संभाग पांडुर्णा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.	275 280/1 280/2 284/1 285/2 296/1 296/2 298	0.105 01.878 0.809 0.275 0.093 01.142 01.039 0.543
क्र. 4614-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—		
		योग कुल रकबा. . 16.256 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली सम्पत्तियां.
<b>अनुसूची</b>		
(1) भूमि का वर्णन—		
(क) जिला—छिन्दवाड़ा	(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—मरकाडोडा जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु लघु सिंचाई योजना के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.	
(ख) तहसील—पांडुर्णा	(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट <a href="http://www.chhindwara.mp.gov.in">http://www.chhindwara.mp.gov.in</a> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट <a href="http://www.mprevenue.nic.in/">http://www.mprevenue.nic.in/</a> पर भी देखा जा सकता है.	
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम—चाटवा, प.ह.नं. 23, ब. नं.-123, रा.नि.मं.-नांदनवाडी.	(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-पांडुर्णा, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.	
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—कुल रकबा—16.256 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.	(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्रों, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.	
प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, उप संभाग पांडुर्णा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(1)	(2)	
190/1	0.380	
190/4	0.607	
190/2	01.894	
192	01.093	
190/3	0.478	
191/1	0.537	
191/2	0.567	
193/1	01.511	
193/2	0.040	
193/5	0.048	
193/6	0.113	
193/7	0.283	
193/8	01.511	

	(1)	(2)
क्र. 4615-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—		
अनुसूची		
(1) भूमि का वर्णन—		
(क) जिला—छिन्दवाड़ा	37/1	01.918
(ख) तहसील—पांडुर्णा	37/2	01.619
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम—कुकडीखापा, प.ह.नं. 64, ब. नं.-47, रा.नि.मं.-पांडुर्णा.	37/3	0.809
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—कुल रकबा—29.575 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.	38/1	0.785
	39	0.320
	40	01.056
	46	0.030
	41	0.178
	45/2	0.072
	55/1	0.176
	55/2	0.512
	55/3	0.848
	56/1	0.332
	71/2	0.110
	77/1	0.072
	56/3	0.299
	75	0.142
	57	0.704
	58	0.849
	59/1	0.400
	59/2	02.032
	59/3	0.640
	59/4	0.320
	60/3	0.056
	60/4	0.064
	74	0.142
	60/5	0.325
	60/6	0.384
	67	0.061
	69	0.061
	70	0.384
	72	0.340
	73	0.340
	76/2	0.176
	77/3	0.048
	56/2	0.244
	68	0.061
	77/2	0.080
प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	
1/1	0.862	
1/2	0.248	
2	0.180	
8/1	01.007	
8/3	0.809	
8/9	0.060	
10/1	0.295	
10/5	0.790	
10/2	0.121	
10/4	0.247	
10/7	0.535	
10/3	0.486	
10/6	0.587	
13	0.160	
14	0.224	
15	0.500	
16/1	0.465	
16/2	0.769	
16/3	0.344	
38/2	0.817	
17	01.384	
36	0.081	

(1)	(2)	(ग)	प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
148/1	0.728	नगर/ग्राम—ग्राम—सिराठा, प.ह.नं. 24, ब. नं.- 392, रा.नि.मं.-नांदनवाड़ी.	429/1	0.178
148/2	0.494	(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—कुल रकबा—16.634 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.	429/2	0.109
149/2	0.066		430/1	0.338
151/1	0.054		432/1	0.641
151/2	0.048		430/2	0.318
152	0.225		432/2	0.048
योग . . .	<u>29.575</u>	हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.	432/4	0.632
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—डोलनाला जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु लघु सिंचाई योजना के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.			434/1	01.356
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <a href="http://www.chhindwara.mp.gov.in">http://www.chhindwara.mp.gov.in</a> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <a href="http://www.mprevenue.nic.in/">http:// www.mprevenue.nic.in/</a> पर भी देखा जा सकता है.			434/2	0.822
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- पांडुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.			438/1	0.050
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.			434/3	0.555
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, उप संभाग पांडुर्णा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.			438/2	0.405
क्र. 4616-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—			438/4	0.365
			438/3	0.405
			438/5	0.230
			438/6	0.445
			438/7	0.360
			438/8	0.398
			438/9	0.870
			438/11	0.809
			438/10	0.571
			444/1	0.082
			442/3	0.129
			443/3	0.125
			444/2	0.243
			445/2	0.214
			445/1	0.057
			446/3	0.134
			448/1	0.477
			448/2	0.478
			454/2	0.064
			456/2	0.271
			449	0.769

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—पांडुर्णा

(1)	(2)	
452	0.097	
450/1	0.373	
453/1	0.081	
457/1	0.352	
450/2	0.372	
453/2	0.081	
451	01.315	
455	0.607	
456/1	0.077	
458	0.121	
468	0.210	
योग . .	16.634	हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली सम्पत्तियां.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—मरकाडोडा जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु लघु सिंचाई योजना के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-पांडुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, उप संभाग पांडुर्णा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

छिन्दवाड़ा, दिनांक 6 जुलाई 2019

क्र. 4648-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की

सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा  
 (ख) तहसील—पांडुर्णा  
 (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-गढखापा, प.ह.नं. 53, ब. नं.-91, रा.नि.मं.-पांडुर्णा.  
 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—कुल रकबा—0.026 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
100/1	0.020
100/2	0.006

योग . . 0.026 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली सम्पत्तियां.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—रेल्वे परियोजना के अंतर्गत इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-पांडुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, उप-मुख्य अभियंता (निर्माण) मध्य रेल नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र. 4649-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को

इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा  
(ख) तहसील—पांडुर्णा  
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-अम्बाडाखुर्द, प.ह.नं. 60, ब. नं.-02, रा.नि.मं.-पांडुर्णा.  
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—कुल रकबा—0.015 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	
415	0.015	
	योग कुल रकबा . . .	0.015 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—रेल्वे परियोजना के अंतर्गत इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-पांडुर्णा, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, उप-मुख्य अभियंता (निर्माण) मध्य रेल नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र. 4650-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को

इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा  
(ख) तहसील—पांडुर्णा  
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-खेडीधज्जेवार, प.ह.नं. 50, ब. नं.-82, रा.नि.मं.-पांडुर्णा.  
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—कुल रकबा—0.395 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	
56/1	0.060	
56/2	0.133	
56/3	0.024	
54/3	0.138	
53	0.040	
	योग कुल रकबा . . .	0.395 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—रेल्वे परियोजना के अंतर्गत इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-पांडुर्णा, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे

(प्लान) का निरीक्षण, उप-मुख्य अभियंता (निर्माण) मध्य रेल नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

क्र. 4651-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा  
(ख) तहसील—पांडुर्णा  
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-खेडीकलां, प.ह.नं. 20, ब. नं.-80, रा.नि.मं.-पांडुर्णा।  
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—कुल रकबा—0.471 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां।

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	
59/2	0.009	
57	0.063	
47	0.074	
45	0.002	
46	0.124	
31/1	0.019	
30/1	0.050	
21	0.130	
योग कुल रकबा . .	0.471	हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली सम्पत्तियां।

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—रेल्वे परियोजना के अंतर्गत इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं

म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-पांडुर्णा, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, उप-मुख्य अभियंता (निर्माण) मध्य रेल नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

क्र. 4652-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा  
(ख) तहसील—पांडुर्णा  
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-आजनगांव, प.ह.नं. 50, ब. नं.-08, रा.नि.मं.-पांडुर्णा।  
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—कुल रकबा—0.128 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां।

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	
69/1	0.005	
68	0.029	
67/1	0.027	
61	0.067	
योग कुल रकबा . .	0.128	हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली सम्पत्तियां।

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक

- प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—रेल्वे परियोजना के अंतर्गत इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-पांडुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, उप-मुख्य अभियंता (निर्माण) मध्य रेल नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपरसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 10 जुलाई 2019

क्र. -भू-अर्जन-प्र. क्र.-04-(अ-82)-2018-19-88.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013, की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (6) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मण्डला  
(ख) तहसील—घुघरी  
(ग) ग्राम—1. ग्राम—पिपरिया रैयत, प.ह.नं. 32, 2. ग्राम

पीपरदर्रा, प.ह.नं. 32, 3. ग्राम मचला प.ह.नं. 31.  
खसरा नं. भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा  
(हे. में)

(1)	(2)
ग्राम—पिपरिया रैयत प.ह.नं. 32 बांध लाइन	
399	1.027
365	0.260
योग .	1.287

#### ग्राम—पीपरदर्रा प.ह.नं. 32 बांध लाइन

234/1	0.949
234/2	1.742
234/3	0.150
233	0.715
222/1	0.730
221	1.030
220	1.214
योग .	6.530

#### स्पिल चैनल ग्राम पीपरदर्रा प.ह.नं.-25 डूब क्षेत्र

256	1.115
-----	-------

#### डूब क्षेत्र ग्राम पीपरदर्रा प.ह.नं.-25

220	4.570
222/1	1.720
222/2	0.400
234/1	1.010
260	1.705
261	0.440
262	3.620
263	0.420
264	1.130
266	0.180
272/1	0.900
272/2	0.750
274	1.240
276	0.460
277	0.590
625	0.200
279/1	1.350
283/2	0.850
279/2	1.300
283/4	0.400
279/3	1.300



(1)	(2)	(1)	(2)
283/3	0.700	254	0.080
279/4	1.300	255	0.397
283/1	2.835	256/1	0.680
282/1	3.430	256/2	0.340
282/2	3.440	256/3	0.330
285/1	1.403	257/1	0.391
285/2	1.402	257/3	0.209
293/1	0.660	259/1	0.510
293/2	1.350	259/2	0.755
293/3	0.520	260	0.957
293/4	0.400	261	1.530
294/1	0.580	181/1	0.250
294/2	0.580	267/1	1.610
294/3	0.570	267/2	0.480
295	1.360	181/2	0.200
कुल योग . . .	<u>45.065</u>	198	0.315
		199	0.230
<b>डूब क्षेत्र निजी भूमि ग्राम मचला प.ह.नं.-31</b>		200	0.460
241/1	0.710	201	0.410
241/2	0.710	202	1.450
241/3	0.710		<u>योग निजी भूमि . . 25.474</u>
197/1	0.470	<b>डूब क्षेत्र निजी भूमि ग्राम पिपरिया प.ह.नं.-32</b>	
242/1	0.100	401/1	0.34
243/1	0.100	403/1	0.52
245/1	0.570	401/2	0.38
242/2	0.180	403/2	0.52
245/2	0.560	404/1/328	0.65
197/2	0.440	404/2/328	0.16
197/3	0.490	404/3/328	0.20
242/3	0.250		<u>योग . . 2.77</u>
243/2	0.080	ग्राम का नाम	कुल योग
245/3	0.570	ग्राम पिपरिया रैयत बांध लाइन प.ह.नं. 32	4.057
242/4	0.180	ग्राम पीपरदर्रा बांध लाइन प.ह.नं. 32	52.71
245/4	0.560	ग्राम मचला प.ह.नं.31	<u>25.474</u>
197/4	0.440		<u>कुल योग . . 82.241</u>
242/5	0.180	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—अनारी	
197/5	0.450	जलाशय योजना नहर निर्माण हेतु.	
246	0.750	(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे	
249/1	2.100	में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की	
249/2	0.400	जानकारी वेबसाइट <a href="http://www.mandla.nic.in">www.mandla.nic.in</a> व मध्यप्रदेश	
251	1.130	शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट	
252	1.120	<a href="http://www.mprevenue.nic.in">www.mprevenue.nic.in</a> पर देखी जा सकती हैं.	
253/2	0.320		
253/1	0.320		

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) घुघरी या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. -भू-अर्जन-प्र. क्र.-05-(अ-82)-2018-19-89.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013, की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (6) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—मण्डला

(ख) तहसील—घुघर

(ग) ग्राम—1. ग्राम—पीपरदर्रा, प.ह.नं. 25, 2. ग्राम खर्छापर माल प.ह.नं. 25, 3. ग्राम खर्छापर रैयत प.ह.नं. 25, 4. ग्राम बोझासिल्ली प.ह.नं. 25, 5. ग्राम पिपरिया प.ह.नं.32, 6. ग्राम रमखिरिया प.ह.नं. 32, 7. ग्राम मुनू प.ह.नं. 29, 8. ग्राम बखारी प.ह.नं. 30, 9. ग्राम कुड़ोपानी प.ह.नं. 30.

खसरा नं.

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा  
(हे. में)

(1)

(2)

दांयी तट मुख्य नहर ग्राम पीपरदर्रा प.ह.नं.-25

222/1	0.150
225	0.045
232/1	0.241
185/2	0.121
236	0.033
241	0.121
243	0.076
176/1	0.071
105/1	0.109
176/2	0.071
181/2	0.039
182	0.067
194	0.036
187	0.079
100/1	0.021

(1)	(2)
109	0.201
104	0.009
98	0.079
93	0.112
योग.	1.681

दांयी तट मुख्य नहर ग्राम खर्छापर माल प.ह.नं.-25

213/1	0.172
182	0.228
160	0.018
181/1	0.130
178/1	0.064
178/2	0.076
169	0.047
170	0.050
165/4	0.115
165/1	0.076
158/1	0.103
योग.	1.079

दांयी तट मुख्य नहर ग्राम खर्छापर रैयत प.ह.नं.-25

287/1	0.043
292/1	0.043
286/2	0.042
291/1	0.094
282/2	0.202
287/2	0.067
282/1	0.142
219/2	0.180
232/1	0.207
223	0.054
224	0.103
220	0.105
202	0.085
232/2	0.060
203	0.060
204/1	0.036
210	0.207
176	0.091
169/1	0.054
169/5	0.022
169/4	0.024

(1)	(2)	(1)	(2)
169/3	0.041	130/2	0.073
169/2	0.027	56/2	0.045
155/7	0.077	56/1	0.039
155/8	0.134	34/6	0.024
153	0.060	34/5	0.067
	योग. . 2.260	15/2	0.094
		22/5	0.045
<b>दांयी तट मुख्य नहर RBC ग्राम बोडासिल्ली प.ह.नं.-24</b>		24	0.030
88/6	0.060	22/3	0.158
89/6	0.030	9	0.106
89/4	0.030	14/1	0.129
89/5	0.030	14/2	0.129
89/1	0.030		योग. . 2.157
	योग. . 0.180		
<b>दांयी तट नहर ( माईनर ) ग्राम खराछापर माल प.ह.नं.-25</b>		<b>बांयी तट मुख्य नहर ग्राम रमखिरिया प.ह.नं.-32</b>	
164/4	0.051	369	0.243
163	0.115	353	0.182
149	0.041	360	0.060
146	0.118	363/2	0.027
118	0.047	228	0.027
117/1	0.027	363/3	0.020
116	0.109	160	0.070
	योग. . 0.508	161	0.450
		168	0.045
<b>बांयी तट मुख्य नहर ग्राम पिपरिया प.ह.नं.-32</b>		173/1	0.070
392/2	0.079	173/3	0.070
392/1	0.035	170	0.045
393	0.057	227	0.121
391	0.054	220/2	0.051
120/1	0.247	219	0.143
98/2	0.060	216/1	0.082
67	0.068	216/2	0.032
66	0.091	209	0.088
65/1	0.070	207/1	0.036
122	0.060	208	0.060
123/2	0.091	195	0.036
123/1	0.079	76	0.027
124	0.134	100	0.039
126/1	0.039	95/1	0.060
129/2	0.054	95/6	0.051
		91	0.048

(1)	(2)	(1)	(2)
95/7	0.057	31/1	0.051
95/2	0.015	27/2	0.054
94	0.042	25	0.036
108	0.042	24/1	0.065
	योग. . 2.339	17	0.054
<b>बांयी तट मुख्य नहर ग्राम मुनू प.ह.नं.-29</b>		16/2	0.048
213/1	0.030	14/1	0.015
213/2	0.070	14/2	0.045
263/1	0.027	14/3	0.033
264	0.046	13/3	0.045
260/8	0.051		योग. . 0.826
260/9	0.040	<b>बांयी तट मुख्य नहर ग्राम कुड़ोपानी प.ह.नं.-30</b>	
258/1	0.146	479	0.057
300/2	0.042	489/1	0.036
289	0.121	489/2	0.015
298	0.080	490	0.033
295	0.041		योग. . 0.141
317/1	0.084	<b>बांयी तट नहर माईनर नं.-1 ग्राम पिपरिया प.ह.नं.-25</b>	
292	0.051	67	0.186
324	0.051	68/1	0.091
326	0.040	94	0.067
333	0.113	95/2	0.042
334/1	0.045	96	0.097
335	0.048		योग. . 0.483
337	0.021	<b>बांयी तट नहर माईनर नं.-2 ग्राम पिपरिया प.ह.नं.-25</b>	
338	0.015	9	0.198
372	0.015	74	0.106
408	0.045	73	0.106
407	0.030	89	0.045
418	0.085		योग. . 0.455
419/2	0.054	<b>बांयी तट नहर माईनर नं.-3 ग्राम मुनू प.ह.नं.-29</b>	
419/3	0.076	210	0.079
423	0.030	209/1	0.054
421/2	0.030	196/1	0.070
578	0.097	203	0.080
576	0.268	199/2	0.021
598/2	0.045	199/1	0.042
579/2	0.030	198/1	0.036
582/1	0.076	198/2	0.041
	योग. . 2.043	191/3	0.041
<b>बांयी तट मुख्य नहर ग्राम बखारी प.ह.नं.-30</b>		191/1	0.091
34	0.076		योग. . 0.555
33/1	0.304		

(1)	(2)
बांयी तट नहर माईनर नं.-4 ग्राम मुनू प.ह.नं.-29	
263/1	0.088
263/2	0.045
262/1	0.054
219	0.173
224	0.064
222/1	0.153
योग.	<u>0.577</u>

(1)	(2)
बांयी तट नहर माईनर नं.-5 ग्राम मुनू प.ह.नं.-29	
338	0.012
370	0.036
373	0.012
374	0.015
376	0.039
377	0.018
378	0.030
399	0.036
400	0.030
438	0.021
439	0.060
445	0.045
446/1	0.015
444/1	0.024
444/2	0.024
455/2	0.032
455/3	0.023
योग.	<u>0.472</u>

(1)	(2)
बांयी तट नहर माईनर नं.-6 ग्राम मुनू प.ह.नं.-29	
423	0.039
425/1	0.024
425/2	0.024
477/2	0.015
477/1	0.018
476	0.027
475	0.030
474	0.088
473/3	0.051
471/1	0.027
470	0.057
511	0.182
492	0.021
493	0.021
506	0.021

(1)	(2)
507/2	0.062
508/2	0.052
508/5, 508/3	0.054
योग.	<u>0.813</u>

(1)	(2)
बांयी तट नहर माईनर नं.-6 ग्राम कुड़ोपानी प.ह.नं.-30	
370	0.243
369	0.060
351	0.015
352/1	0.030
352/2	0.045
354	0.106
355	0.030
339/2	0.132
339/1	0.040
339/3	0.042
339/4	0.042
योग.	<u>0.785</u>

#### गोशवारा नहर कार्य

ग्राम का नाम	कुल योग
ग्राम पीपरदरा प.ह.नं.-25	1.681
ग्राम खर्वाछापर माल प.ह.नं.-25	1.587
ग्राम खर्वाछापर रैयत प.ह.नं.-25	2.260
ग्राम बोडासिल्ली प.ह.नं.-24	0.180
ग्राम पिपरिया प.ह.नं.-32	3.095
ग्राम रमखिरिया प.ह.नं.-32	2.339
ग्राम मुनू प.ह.नं.-29	4.460
ग्राम बखारी प.ह.नं.-30	0.826
ग्राम कुड़ोपानी प.ह.नं.-30	0.926
कुल योग . .	<u>17.354</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—अनारी जलाशय योजना नहर निर्माण हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट [www.mandla.nic.in](http://www.mandla.nic.in) व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट [www.mprevenue.nic.in](http://www.mprevenue.nic.in) पर देखी जा सकती है.
- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) घुघरी या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जगदीश चन्द्र जटिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

### उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 3 जुलाई 2019

क्र. D-4122-दो-2-34-2014.—श्री अनिल वर्मा, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इन्दौर को दिनांक 04 से 08 जुलाई 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल वर्मा, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-4124-दो-2-56-2014.—श्री ऋषभ कुमार सिंघई, जिला न्यायाधीश, (निरीक्षण), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 03 से 08 जून 2019 तक, छह दिवस के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2015 से वर्ष 2019 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब (एक) 2011, दिनांक 08 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

जबलपुर, दिनांक 8 जुलाई 2019

क्र. C-3171-दो-2-34-2014.—श्री अनिल वर्मा, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इन्दौर को दिनांक 02 से 12 जून 2019 तक के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2017 से वर्ष 2019 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब(एक) 2011, दिनांक 08 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. C-3173-दो-2-50-2017.—श्री आर. बी. कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को दिनांक 24 से 29 जून 2019 तक, छह दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. बी. कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को शिवपुरी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. बी. कुमार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-3175-दो-2-10-2018.—कु. भावना साधू, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 24 से 27 जून 2019 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 23 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर कु. भावना साधू, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि कु. भावना साधू, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. C-3177-दो-2-32-2014.—श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 10 से 12 जुलाई 2019 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-3181-दो-2-21-2019.—श्री लखनलाल गर्ग, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मंदसौर को दिनांक 22 से 27 जुलाई 2019 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 20 एवं 21 जुलाई 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 28 जुलाई 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री लखनलाल गर्ग, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री लखनलाल गर्ग, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-3187-दो-2-50-2018.—डॉ. रमेश साहू, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शहडोल को दिनांक 15 से 19 जुलाई 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में 14 जुलाई 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 20 एवं 21 जुलाई 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर डॉ. रमेश साहू, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. रमेश साहू, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-3189-दो-3-420-80-भाग-बारह.—श्रीमती भागवती चौधरी, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. 195-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 31 मार्च 2018, समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 19 सितम्बर 2018, समसंख्यक आदेश क्रमांक 3(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3), मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ 6-1-2018-नियम-चार, दिनांक 08 मार्च 2019 के अनुसार श्रीमती चौधरी को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 30 जून 2019 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1. अर्जित अवकाश,	-	196
अर्द्धवेतन अवकाश	-	104
	योग	300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:—

(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान=196 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता

अर्द्धवेतनिक अवकाश = \_\_\_\_\_ X 104  
के एवज में नगद 30  
भुगतान.

क्र. D-4279-दो-2-81-2018.—श्री काशिफ नदीम खान, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, गुना को दिनांक 18 से 28 जून 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए ग्यारह दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री काशिफ नदीम खान, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, गुना को गुना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री काशिफ नदीम खान, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के  
आदेशानुसार,  
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

## राज्य शासन के आदेश

### गृह ( सामान्य ) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2019

क्र. एफ-15-01-2019-दो ए(3).—राज्य सरकार, जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 17क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत की जनगणना, 2021 के पूर्व-परीक्षण के संचालन के लिए उक्त अधिनियम के उपबंधों का विस्तार करती है। मध्यप्रदेश राज्य में 12 अगस्त 2019 से 30 सितम्बर 2019 तक पूर्व-परीक्षण संचालित किया जायेगा।

F. No. F-15-01-2019-2A(3).—In exercise of the powers conferred by Section 17A of the Census Act, 1948 (37 of 1948), the Government of Madhya Pradesh hereby extends the provisions of the said Act, for conduct of pre-test of Census of India, 2021. The pre-test shall be conducted from 12th August, 2019 to 30th September, 2019 in the State of Madhya Pradesh.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आशीष भार्गव, उपसचिव.